

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड के सभी सदस्य

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (“कंपनी”) के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ एवं हानि विवरण, उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य स्पष्टकारक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) में यथाअपेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

**राय का आधार**

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के ‘वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी’ खंड में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य

नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उनकी जिम्मेदारी**

इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य और निष्पक्ष मत प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करने; ऐसे निर्णय लेना और आकलन करना जो तर्कसंगत और विवेकसम्मत हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जिन्हें वित्तीय विवरणों का सत्य और स्पष्ट तथ्य प्रकट करने वाले और वस्तुतः मिथ्या जानकारी, चाहे वे धोखे से अथवा त्रुटिवश, न हो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था को तैयार करने और रखरखाव करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में बने रहने, प्रगतिशील संस्था से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के लिए प्रगतिशील संस्थान के आधार का उपयोग करने में इसकी क्षमता के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन न रोकना चाहता हो अथवा ऐसा करने के सिवाय उनके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

**वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी**

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित हैं और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नहीं देता कि कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान हमने पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(I) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रगतिशील संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ-साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय-सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना दी है।

हम उन्हें, जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान किया कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

### अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में, लागू सीमा तक, एक विवरण “अनुलग्नक-I” में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में, हम कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच, जिसे हमने उचित समझा और जो हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार थी, के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक - II पर संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

- क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
- ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- ग) इस रिपोर्ट में संबोधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।
- घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 की नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।
- ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक ‘क’ पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।
- छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अपने निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है अतः अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों की रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कि क्या अधिक भुगतान किया गया है, कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

ज) कंपनियां (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।
- कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके संबंध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।
- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते के.एल.सी. एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या:02435 एन

गौरव छाबड़ा  
(साझेदार)  
सदस्यता संख्या 510118

स्थान - नई दिल्ली  
दिनांक - 14-05-2019

## उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (“कंपनी”) के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- 1 प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के अलावा, कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (i) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 2 कंपनी की कोई माल-सूची नहीं है; अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड(ii) लागू नहीं होता है।
- 3 कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।
- 4 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत यथाविनिर्दिष्ट, अपने निदेशक मंडल को और उनकी ओर से कोई ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी है और बनाए गए ऋणों के संबंध में कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों की अनुपालना की गई है।
- 5 हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत आम जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है।
- 6 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत, कंपनी के किसी भी कार्यकलाप के लिए, केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- 7 (क). कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी समुचित प्राधिकरण की ओर से इस पर लागू अन्य किसी सांविधिक शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देयताओं को नियमित तौर पर जमा किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक शुल्क, उनके देय होने की तारीख से छः माह की अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।  
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवादित सांविधिक शुल्क देय नहीं है।
- 8 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर-धारक से कोई ऋण नहीं लिया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (viii) लागू नहीं होता है।
- 9 कंपनी द्वारा अवधि के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर अथवा फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋणों के जरिए कोई राशि एकत्रित नहीं की गई है अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता है।

- 10 संपादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अथवा कंपनी में उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी न तो पाई गई है या न ही सूचित की गई है।
- 11 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 में विनिर्दष्टानुसार अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान /उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (xi) लागू नहीं होता है।
- 12 यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है अतः आदेश के पैरा 3 का चूक संबंधी खंड (xii) लागू नहीं होता है।
- 13 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किया गया लेन-देन व्यापार के सामान्य तरीके से निष्पक्ष आधार पर किया गया है और इसलिए, कंपनी पर अधिनियम की धारा 177 और 188 लागू नहीं होती है, तथापि, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, यथाअपेक्षित, वित्तीय विवरणों में ऐसे लेन-देन के ब्यौरों का प्रकटीकरण किया गया है।
- 14 कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमान्य आबंटन अथवा संस्थागत बिक्री नहीं की गई है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 15 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशकों अथवा इसके साथ संबंधित किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी नकदरहित लेन-देन में हिस्सा नहीं लिया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- 16 कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

**कृते के.एल.सी. एंड कंपनी**  
**सनदी लेखाकार**  
**फर्म पंजीकरण संख्या:02435 एन**

**गौरव छाबड़ा**  
**(साझेदार)**  
**सदस्यता संख्या 510118**

**स्थान - नई दिल्ली**  
**दिनांक - 14-05-2019**

## उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में सदरभित अनुलग्नक

### कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को जारी किए गए निर्देशों के संबंध में उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखा संबंधी लेन-देन को आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हां, तो आई.टी. प्रणाली से बाहर लेखा लेन-देनों को संसाधित करने में खातों की ईमानदारी संबंधी विवक्षाओं सहित वित्तीय विवक्षाएं, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	जी, हां। कंपनी में सभी लेखा लेन-देनों को आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए ओरेकल नामक प्रणाली विद्यमान है। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में ओरेकल में डाली गई प्रविष्टियों की शुद्धता के सत्यापन के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।
2.	क्या ऋण को चुकाने की कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनःसंरचना अथवा कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का मामला तैयार किया गया है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट स्कीम के लिए प्राप्त की गई/प्राप्ति योग्य निधियों को उनकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित लेखा-जोखा तैयार किया गया/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों का उल्लेख करें।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त की गई/प्राप्त किए जाने योग्य कोई निधियां नहीं हैं, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

कृते के.एल.सी. एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या:02435 एन

गौरव छाबड़ा

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 510118

स्थान - नई दिल्ली



**दिनांक - 14-05-2019**

**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (“कंपनी”) के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में सदर्भित अनुलग्नक

**कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट।**

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (“कंपनी”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए हमारे द्वारा की गई कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ की गई है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी का निदेशकमंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथाअपेक्षित कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यापार का सुव्यवस्थित और कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था, को तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल हैं।

**लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी, हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखा परीक्षा के संबंध में लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट (“मार्गदर्शी नोट”) और भारत सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट समझे जाने वाले लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और कार्यान्वयन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण को सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी संचालनात्मक प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का संचालन शामिल है। हमारे द्वारा की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आंकलित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन और संचालनात्मक प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतियों, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह की त्रुटि के कारण हो, के जोखिम के आंकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो सुसंगत विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निक्षेपण को शुद्ध और उचित रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन देती हैं कि लेनदेन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथाआवश्यक लेखबद्ध किया गया है; और कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग और निक्षेप की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में सुसंगत आश्वासन प्रदान करना है।

### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं**

सांठगांठ अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों के अधिरोहण सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के परिणामस्वरूप, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुतः मिथ्या तथ्य दिए जा सकते हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का परियोजन इस जोखिम के अध्यधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा कि नीतियों या प्रक्रियाओं की अनुपालना की स्थिति में कमी आ सकती है।

### **राय**

हमारी राय में, कंपनी में सभी भौतिक मामलों में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के

आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान थे और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित थे।

कृते के.एल.सी. एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या:02435 एन

गौरव छाबड़ा  
(साझेदार)  
सदस्यता संख्या 510118

स्थान - नई दिल्ली  
दिनांक - 14-05-2019

**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**  
(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)

**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र**

(₹ सैकड़ों में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(I)	<b>परिसम्पत्तियां</b>				
(1)	<b>गैर-चालू परिसम्पत्तियां</b>				
)	(a) संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण	4	2,188.20	2,917.59	3,337.78
	(b) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	5	371,41,034.51	334,97,161.73	290,85,594.6
	(c) वित्तीय परिसम्पत्तियां				1
	(i) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6	6,51,464.03	6,51,464.03	6,51,464.03
	(b) अन्यगैर-चालू परिसम्पत्तियां	7	797,26,066.10	795,59,855.73	778,69,441.5
	<b>कुलगैर-चालू परिसम्पत्तियां</b>		<b>1175,20,752.85</b>	<b>1137,11,399.08</b>	<b>5</b>

			<b>1076,09,837.97</b>
(2)	<b>चालू परिसम्पत्तियां</b>		
)	(a) वित्तीय परिसम्पत्तियां		
	(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	8	377.98 214.71 18,76,603.46
	(b) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	9	7,15,992.10 6,97,923.94 7,19,403.01
	<b>कुलचालू परिसम्पत्तियां</b>		<b>7,16,370.08 6,98,138.65 25,96,006.47</b>
	<b>कुलपरिसम्पत्तियां</b>		<b>1182,37,122.93 1144,09,537.73 44 1102,05,844.</b>
(II)	<b>इक्विटी एवं देयताएं</b>		
)			
(1)	<b>इक्विटी</b>		
)			
	(a) इक्विटी शेयर पूंजी	10	5,000.00 5,000.00 5,000.00
	(b) अन्य इक्विटी	11	(12,548.26) (12,548.26) (12,548.26)
	<b>कुलइक्विटी</b>		

		(7,548.26)	(7,548.26)	(7,548.26)
(2	) देयताएं			
(				
A				
)	गैर-चालू देयताएं			
	(a) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	12 174,13,059.57	183,81,691.25	141,13,003.48
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13 990,46,600.12	957,86,600.12	957,86,600.12
	<b>कुलगैर-चालू देयताएं</b>	<b>1164,59,659.69</b>	<b>1141,68,291.37</b>	<b>1098,99,603.60</b>
(B	) चालू देयताएं			
	(a) वित्तीय देयताएं			
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	14 17,13,333.40	1,86,741.29	2,50,754.01
	(b) अन्य चालू देयताएं	15 71,678.10	62,053.33	63,017.78
	(c) चालू कर देयताएं (निवल)	16		

		-	-	17.31		
	कुलचालू देयताएं	17,85,011.50	2,48,794.62	3,13,789.10		
	कुलइक्विटी एवं देयताएं	1182,37,122.93	1144,09,537.73	1102,05,844.44	0.00	(0.00)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 1-3  
वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 1-45

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

(आलोक सूद)  
(पी.के. सिंह)  
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष  
डी.आई.एन.:02913155  
डी.आई.एन.: 03548218

(योगेश जुनेजा)  
डी.आई.एन.:02913155

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार  
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए  
केएलसी एंड कंपनी  
(सनदी लेखाकार)  
(फर्म पंजीकरण संख्या : 02435एन )

**(गौरव छाबड़ा)**

साझेदार

सदस्यता संख्या : 510118

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 14.05.2019



**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**  
**(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)**  
**दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय		-	-
<b>कुलआय (I)</b>		-	-
व्यय			
अन्य व्यय		-	-
<b>कुलव्यय (II)</b>		-	-
<b>कर पूर्व लाभ(I- II =III)</b>		-	-
कर व्यय: (IV)			
चालू कर	18		

		-	-	12,88,203	
आस्थगित कर		-	-	3,84,786	1,792
<b>कर उपरांत निवल लाभ(III - IV = V)</b>		-	-	3,31,712	
अन्य विस्तृत आय (VI)		-	-		
<b>अवधि के लिए कुल विस्तृत आय(V + VI =VII)</b>		-	-	382994	
प्रति इक्विटी शेयर आय: (VIII)				29.73%	
आधारभूत और तनुकृत (10 रूपये प्रत्येक का सममूल्य)	19	-	-	29.87	

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

1-3

वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें

1-45

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

(आलोक सूद)

(योगेश जुनेजा)

(पी.के.

सिंह)

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

डी.आई.एन.:02913155

डी.आई.एन.:02913155

**डी.आई.एन.: 03548218**

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए

**केएलसी एंड कंपनी**

(सनदी लेखाकार)

(फर्म पंजीकरण संख्या : 02435एन )

**(गौरव छाबड़ा)**

साझेदार

सदस्यता संख्या : 510118

स्थान: नई दिल्ली

**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**  
**(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)**  
**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण**

(₹ सैकड़ों में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>A</b>	<b>प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>		
	कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	-	-
	<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ/(हानि):</b>	-	-
	<b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :</b>		
	- अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	15,26,592.11	(64,012.72)
	- अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	9,624.77	(964.45)
	- अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(18,068.16)	21,479.07
<b>प्रचालन गतिविधियों से अर्जित नकद</b>	<b>15,18,148.72</b>	<b>(43,498.10)</b>	
भुगतान किया गया आयकर	-	(17.31)	
<b>प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह</b>	<b>15,18,148.72</b>	<b>(43,515.41)</b>	
<b>B</b>	<b>निवेशी गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>		
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण में वृद्धि	-	(547.55)
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में परिवर्तन	(36,43,143.39)	(44,10,599.38)

C	भूमि के लिए जमा	-	-
	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(1,66,210.37)	(16,90,414.18)
	अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-	-
	निवेशी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	<b>(38,09,353.76)</b>	<b>(61,01,561.11)</b>
	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	ऋण से प्राप्त	(9,68,631.68)	42,68,687.77
	अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	32,60,000.00	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	<b>22,91,368.32</b>	<b>42,68,687.77</b>
	नकदी और नकदी समतुल्यमें निवल (कमी)	<b>163.27</b>	<b>(18,76,388.75)</b>
	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य (अथशेष)	214.71	18,76,603.46
31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य (अंतशेष) (नोट-8)	<b>377.98</b>	<b>214.71</b>	
को शामिल करते हुए:			
बैंकों में चालू खातों में अधिशेष	377.98	214.71	

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

(आलोक सूद)

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

डी.आई.एन.:02913155

(योगेश जुनेजा)

डी.आई.एन.:02913155

(पी.के. सिंह)

डी.आई.एन.:

**03548218**

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए

**केएलसी एंड कंपनी**

(सनदी लेखाकार)

(फर्म पंजीकरण संख्या : 02435एन)

**(गौरव छाबड़ा)**

साझेदार

सदस्यता संख्या : 510118

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 14.05.2019

**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**  
**(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)**  
**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण**

**a. इक्विटी शेयर पूंजी**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	राशि
<b>1 अप्रैल, 2017 को अधिशेष</b>	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
<b>31 मार्च, 2018 को अधिशेष</b>	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
<b>31 मार्च, 2019 को अधिशेष</b>	5,000.00

**b. अन्य इक्विटी**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	राशि
<b>प्रतिधारित आय</b>	
<b>1 अप्रैल, 2017 को अधिशेष</b>	(12,548.26)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (वित्त वर्ष 2017-2018)	-

31 मार्च, 2018 को अधिशेष	(12,548.26)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (वित्त वर्ष 2018-2019)	-
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	(12,548.26)

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

(आलोक सूद)

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

डी.आई.एन.:02913155

(योगेश जुनेजा)

डी.आई.एन.:02913155

(पी.के. सिंह)

डी.आई.एन.: 03548218



हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए

केएलसी एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

(फर्म पंजीकरण संख्या : 02435एन)

(गौरव छाबड़ा)

साझेदार

सदस्यता संख्या : 510118

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 14.05.2019





**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**  
**(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)**  
**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट**

**1 निगमित जानकारी**

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार का एक उपक्रम, की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में दिनांक 24 अगस्त, 2006 में निगमित किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में स्थित है। यह कंपनी एक विशिष्ट कार्य संस्था है जिसका निगमन ओडिशा राज्य में 4000 मेगावाट की अतिविस्तृत (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना (परियोजना) की स्थापना के उद्देश्य से भूमि के अधिग्रहण और पर्यावरण, वन इत्यादि की अनुमति सहित कानूनी अनुमति से संबंधित प्राथमिक कार्य को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था।

**2 सामान्य**

**( निर्मित का आधार और अनुपालना का विवरण**

**a**  
**)**

इन वित्तीय विवरणों को परंपरागत लागत और लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("इंड ए.एस." के रूप में संदर्भित) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार हैं। ये कंपनी के प्रथम इंड ए.एस. वित्तीय विवरण हैं। इंड ए.एस. में संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2017 है।

वित्तीय विवरणों में विगत अवधि के आंकड़ों को उन्हीं लेखांकन मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है जिन्हें कंपनी के पहले इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किया गया है।

कंपनी के वित्तीयविवरणों को भारतीय रूपये (आई.एन.आर.) में प्रस्तुत किया गया है जो कि इसकीकार्यकरण की मुद्रा है।

कंपनी द्वारा पहलीबार अपनाए जाने के संबंध में ली गई छूटों के ब्यौरों को नोट संख्या 42 पर प्रस्तुत किया गया है।

इन वित्तीय विवरणों में राशि को दो दशमलव बिंदुओं के निकटतम सौ (जब तक कि दर्शाया न जाए) तकसमायोजित किया गया है।

( अनुमानों का उपयोग

b

)

वित्तीय विवरणों कोतैयार करने में प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाना और पूर्वधारणा अपेक्षित है जोवित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार राजस्व, व्यय की संसूचित राशि, परिसम्पत्तियों और देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण कोप्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानऔर अंतर्निहित पूर्वधारणा की पुनरीक्षा नियमित आधार पर की जाती है। लेखाअनुमानों में संशोधन का निर्धारण उस अवधि में किया जाता है जिसमें अनुमानों कोसंशोधित किया गया हो और जिनसे कोई भावी अवधि प्रभावित होती हो।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

( आय/व्यय की मान्यता

a

)

आय और व्यय (नीचे दिए गए के अलावा) का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

( ऋण लागत

b

)  
ऋण लागत जो कि अचल परिसम्पत्तियों, जिन्हें उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए काफी समय लगता है, के अधिग्रहण, निर्माणसे संबंधित हैं, को ऐसी अचल परिसम्पत्तियों की लागत के भाग के रूप में ऐसी परिसम्पत्तियों को उपयोग के लिए तैयार किए जाने की अवधि से संबंधित सीमा तक पूंजी में परिणत किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस वर्ष, जिसमें उन्हें वहन किया गया है, के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

( **प्रगति पर पूंजीगत कार्य**

c  
)  
भूमि अधिग्रहण/सर्वेक्षण/अध्ययन/जांच/परामर्श/प्रशासनिक/मूल्यहास/ब्याज आदि के संबंध में वहन किए गए व्यय और निर्माण अवधि के दौरान अन्य व्ययों को पूंजी में परिणत किया जाता है और उन्हें प्रगति पर पूंजीगत कार्य माना जाता है।

( **संपत्ति, प्लांट और उपकरण**

d  
)  
i. संपत्ति, प्लांट और उपकरण की मदों आरम्भिक रूप से लागत पर मान्यता दी जाती है। तदोपरांत, फ्रीहोल्ड भूमि, जिसमें मूल्यहास नहीं होता, को छोड़कर, संचित मूल्यहास और संचित विकृति हानि, यदि कोई हो, को लागत में से घटाकर मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति, प्लांट और उपकरण की कोई मद सक्रिय उपयोग से अप्रचलित हो जाती है और निपटान का निर्धारण, बही मूल्य अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य में से कम पर उल्लिखित किया जाता है।  
ii संपत्ति, प्लांट और उपकरण की किसी मद को उसके निपटान पर अथवा तब अमान्य किया जाता है, जब उस परिसम्पत्ति के निरंतर उपयोग से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभों की संभावना न हो। संपत्ति, प्लांट और उपकरण की किसी मद के निपटान अथवा अप्रचलित करने से किसी लाभ अथवा हानि का निर्धारण निवल निपटान आय और परिसम्पत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

( **अमूर्त परिसम्पत्तियां**

e

)

सीमित उपयोग अवधि वाली अमूर्त परिसम्पत्तियां जिनका अधिग्रहण पृथक रूप से किया जाता है को लागत पर मान्यता दी जाती है। लागत में प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य ऐसा प्रांसगिक व्यय शामिल होता है जो किसी परिसम्पत्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक हो। तदोपरांत, संचित मूल्यहास और संचित विकृति हानि, यदि कोई हो, को लागत में से घटाकर मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन को मान्यता, उनके अनुमानित उपयोग अवधि की तुलना में प्रत्यक्ष आधार पर किया जाता है।

( मूल्यहास और परिशोधन

च

)

संपत्ति, प्लांट और उपकरण की मदों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट उपयोगी अवधि और अवशेष मूल्य पर विचार करते हुए प्रतिलेखन मूल्य रीति के अनुसार अथवा कंपनी द्वारा अनुमानित अल्पतम उपयोगी अवधि पर यथानुपातिक आधार प्रदान किया जाता है।

परिशोधन, कंपनी द्वारा अनुमानित की गई परिसम्पत्तियों की उपयोग अवधि की तुलना में प्रत्यक्ष आधार पर किया जाता है।

( पूर्वावधि व्यय

छ

)

पूर्वावधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों में पूर्वव्यापी तरीके से पूर्वावधि, जिसमें त्रुटि हुई, में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक राशि का पुनः उल्लेख करते हुए सुधार किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि से पहले हुई हो, तो प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि की परिसम्पत्तियों, देयताओं के अथशेष और इक्विटी का पुनः उल्लेख किया जाता है।

( नकदी एवं नकदी समतुल्य

ज

)

नकदी के तहत हस्तगतनकद, डिमांड डिपोजिट शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधिक अधिशेषों (जिनकी मूलपरिपक्वता अवधि अधिग्रहण से तीन माह या कम है) उच्चतर नकदी निवेश, जो नकदी कीनियत राशि में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं और जिनमें मूल्य परिवर्तनसंबंधी मामूली जोखिम हो, को नकदी समतुल्य समझती है।

( नकदी प्रवाह विवरण

झ

)

नकदी प्रवाह विवरणऐसी अप्रत्यक्ष रीति के अनुसार तैयार किए जाते हैं जिसके द्वारा कर पूर्व निवललाभ/(हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के किसी लेन-देन और विगत अथवा भावी नकद प्राप्तिअथवा भुगतान के स्थगन अथवा संग्रहण के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।कंपनी की प्रचालन, निवेशी और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को पृथक कियाजाता है।

( कराधान

ज

)

आयकर व्यय मेंवर्तमान और आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसका निर्धारण लाभ एवं हानि विवरण में, जब यह किसी ऐसी मद से संबंधित हो जिसे ओ.सी.आई.अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी, जिसके मामले में भी, कर को ओ.सी.आई. अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी मेंनिर्धारित किया जाता है, में निर्धारित किया गया है को छोड़कर, किया जाता है।

चालू कर वह कर हैजिसे उस तिथि को अधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित और लागू कर दर का उपयोग तथाविगत वर्ष के संबंध में देय करों का समायोजन करते हुए वर्ष के लिए कराधीन आय केसंबंध में भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

आस्थगित कर का निर्धारण वित्तीय विवरणों मेंपरिसम्पत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कराधीन आय की गणना में उपयोग किए गएसंगत कर के आधारों के बीच अस्थायी अंतर के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर कीगणना कानूनों के आधार पर कर दर पर की जाती है जिसे रिपोर्टिंग की तारीख कोअधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित किया गया हो। यदि चालू कर परिसम्पत्तियों औरदेयताओं को समायोजित करने का विधिक रूप से प्रवर्तित अधिकार हो तो आस्थगत करपरिसम्पत्तियों और देयताओं को समायोजित किया जाता है।

कोई आस्थिगत करपरिसम्पत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है जिसमें यह संभाव्य हो कि करयोग्य लाभ उस सीमा तक उपलब्ध होंगे जहां तक कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थिगत कर देयताओं की पुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है इन्हें उस सीमा तक कम किया जाता है जिसमें इस बात की बिल्कुल संभावना न हो कि संबंधित कर लाभों को अर्जित किया जाएगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्थिगत करपरिसम्पत्तियों की वहन राशि की पुनरीक्षा की जाती है और इन्हें उस सीमा तक कम किया जाता है जिसमें इस बात की बिल्कुल संभावना न हो कि वसूली की जाने वाली परिसम्पत्तियों के सभी भागों को नियत करने हेतु पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध होंगे।

( **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

ट  
)

- i. प्रावधानों को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जब किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा निर्माण संबंधी) हो, यदि यह संभाव्य हो कि कंपनी द्वारा दायित्व का निपटान अपेक्षित होगा और एक दायित्व की राशि के संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्वों के जोखिमों और प्रतिवेशी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफल का बेहतरीन अनुमान है। जब कुछेक अथवा सभी आर्थिक लाभों से निपटान अपेक्षित हो, प्रावधान को तृतीय पक्ष से वसूल किया जाना आशयित हो तो किसी प्राप्य के एक परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वस्तुतः यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति की जाएगी और प्राप्य की राशि का मूल्यांकन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।
- ii जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा अथवा राशि का अनुमान विश्वसनीय रूप से नहीं लगाया जा सकता, दायित्व को आकस्मिक देयताओं के रूप में लेखा की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना कम न हो।
- ii आकस्मिक परिसंपत्तियों के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हें उस स्थिति में प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।
  - i. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

v

( वित्तीय लिखत

ठ  
)

वित्तीयपरिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं को उस स्थित में मान्यता दी जाती है जब कंपनीवित्तीय लिखत के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है।

आरम्भिक मान्यता होने पर, वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देयताओं को उचितमूल्य जमा/घटा लेन-देन की लागत, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओंके अधिग्रहण अथवा निर्गम से संबंधित है, को मान्यता दी जाती है। वित्तीयपरिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं जिन्हें लाभ एवं हानि के माध्यम से उचितमूल्य पर निर्धारित किया जाता है, के मामले में, इनकी लेन-देन लागत को लाभ एवंहानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

ठ वित्तीय परिसम्पत्तियां

·  
1

वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी नियमित रीति की खरीदऔर बिक्री का निर्धारण और गैर-निर्धारण निपटान तारीख के आधार पर किया जाताहै।

आरम्भिक मान्यता होने पर, वित्तीय परिसम्पत्तियों को या तो परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य परउनकी समग्रता में वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर मूल्यांकितकिया जाता है।

i वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन (इक्विटी लिखत को छोड़कर)

)



क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ई.आई.आर.) का उपयोग करते हुए, तदोपरांत परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है:

- परिसम्पत्ति का धारण किसी ऐसे व्यापार मॉडल में किया जाता हो जिसका उद्देश्यसंविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों को धारित करना हो; और
- परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह जो कि बकायामूल राशि पर केवल मूल और ब्याज का भुगतान (एस.पी.पी.आई.) है, का सृजन करती हैं

ख) अन्य विस्तृत आयके माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.) किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

- व्यापार मॉडल के उद्देश्य की प्राप्ति, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण और वित्तीय परिसम्पत्तियों के विक्रय दोनों से होती है; और
- परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह जो कि बकायामूल राशि पर केवल मूल और ब्याज का भुगतान (एस.पी.पी.आई.) हैं, में वृद्धि करती हो।

ग) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.) किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एफ.वी.टी.पी.एल. पर किया जाता है जब तक कि इसे लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर मूल्यांकित नहीं किया जाता है।

ii **वित्तीय परिसम्पत्तियों का विकृत होना**

) क) आरम्भिक मान्यता होने पर, कंपनी परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में आशयित क्रेडिट हानि (ई.सी.एल.) को मान्यता देती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों, ऋण परिसम्पत्तियों को छोड़कर, के संबंध में ई.सी.एल. का मूल्यांकन आजीवन आशयित हानि के बराबर राशि पर किया जाता है। इस बात को छोड़कर कि ई.सी.एल. को अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती है और तुलनपत्र की वहन राशि में से घटाया नहीं गया है, ई.सी.एल. के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए विकृत अपेक्षाओं को समान रूप से एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर ऋण परिसम्पत्तियों के संबंध में लागू किया जाता है।

ख) ऋण परिसम्पत्तियों का विकृत होना तथा आश्वासन पत्र (एल.ओ.सी.) के तहत प्रतिबद्धताएं: कंपनी ऋण परिसम्पत्तियों के संबंध में ई.सी.एल. का मूल्यांकन आजीवन ई.सी.एल.के बराबर राशि पर करती है यदि आरम्भिक मान्यता के बाद से, कोई क्रेडिट विकृति हो अथवा क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एस.आई.सी.आर.) हुई हो। यदि आरम्भिक निर्धारण की तुलना में कोई एस.आई.सी.आर. नहीं है, तो कंपनी ई.सी.एल. का मूल्यांकन 12 माह के ई.सी.एल. के बराबर राशि पर करती है। जब आरम्भिक निर्धारण के बाद से किसी एस.आई.सी.आर. की संभावना के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, कंपनी ऐसी संगत और सहायक जानकारी पर विचार करती है जो बिना किसी अनुचित लागत अथवा प्रयास के उपलब्ध हो। यदि कंपनी ने विगत अवधि में हानि भत्ते को आजीवन ई.सी.एल.के रूप में मूल्यांकित किया था, किंतु अनुवर्ती अवधि में यह निर्धारित करती है कि क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण आरम्भिक निर्धारण में कोई एस.आई.सी.आर. नहीं है, तो कंपनी द्वारा पुनः हानि भत्ते का मूल्यांकन 12 माह के ई.सी.एल. आधार पर किया जाता है। क्रेडिट विकृत ऋण परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है और अन्य ऋण परिसम्पत्तियों के लिए इसका मूल्यांकन सामान्यतः एकसमान समूहों को उपयोग करते हुए संग्रहण आधार पर किया जाता है।

ग) विकृत हानियों और वापसी को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

## ii वित्तीय परिसम्पत्तियों का अमान्यता

### i

) कंपनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का अमान्यता तब करती है जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब यह वित्तीय परिसम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के स्वामित्व के सभी वास्तविक जोखिमों और प्रतिफलों को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का उसकी समग्रता में अमान्यता, परिसम्पत्ति की वहन राशि और प्राप्त तथा प्राप्ति योग्य प्रतिफल की राशि के बीच अंतर और समग्र लाभ अथवा हानि जिसे अन्य विस्तृत आय में निर्धारित किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था का निर्धारण लाभ एवं हानि विवरण में किया जाता है यदि ऐसे लाभ अथवा हानि को अन्यथा- उस वित्तीय परिसम्पत्ति के निष्पादान के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारण किया गया हो।

## ठ वित्तीय देयताएं

### .

### 2

- i) डेरिवेटिव्स और वित्तीय गारंटी संविदाओं को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दरपद्धति (ई.आई.आर.) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। ई.आई.आर. का निर्धारण वित्तीय देयताओं के आरम्भिक निर्धारण के समय किया जाता है। तदुपरांत, ई.आई.आर. को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार, संबंधित रीसेटतारीख को अस्थिर ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए अद्यतन किया जाता है।
- ii) वित्तीय देयताओं की अमान्यता: कंपनी वित्तीय देयताओं को अनिर्धारण केवल तब करती है जब कंपनी के दायित्वों का निष्पादन हो गया हो, रद्द हो गये हों अथवा समाप्त हो गये हों। वित्तीय देयताओं की वहन राशि और प्रदत्त और प्रदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित किया जाता है।

( प्रति शेयर आय  
ड  
)

प्रति शेयर मूल आय की गणना, करके उपरांत निवल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसतसंख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना कर उपरांतलाभ को प्रति शेयर मूल आय निकालने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसतसंख्या और उनक इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिन्हें सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन के बाद जारी किया गया, से भाग देते हुए की जाती है।

उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड  
(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)  
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट

4. संपत्ति, प्लांट और उपकरण

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	स्वाधिकृत			
	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	ई.डी.पी. उपकरण	कार्यालयी एवं अन्य उपकरण	कुल
<u>लागत अथवा मानी गई लागत</u>				
1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार अधिशेष	6,147.24	6,560.66	2,071.53	14,779.43
जोड़ी गई	336.88	112.01	98.66	547.55
हटाई गई	-	-	-	-
31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार अधिशेष	<b>6,484.12</b>	<b>6,672.67</b>	<b>2,170.19</b>	<b>15,326.98</b>
जोड़ी गई	-	-	-	-
हटाई गई	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार अधिशेष	<b>6,484.12</b>	<b>6,672.67</b>	<b>2,170.19</b>	<b>15,326.98</b>
<u>संचित मूल्यहास</u>				
1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार अधिशेष	3,376.06	6,228.11	1,837.48	11,441.65
जोड़ी गई	814.20	8.58	144.96	967.74
हटाई गई	-	-	-	-

<b>31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार अधिशेष</b>	<b>4,190.26</b>	<b>6,236.69</b>	<b>1,982.44</b>	<b>12,409.39</b>
जोड़ी गई	600.62	70.67	58.10	729.40
हटाई गई	-	-	-	-
<b>31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार अधिशेष</b>	<b>4,790.88</b>	<b>6,307.36</b>	<b>2,040.54</b>	<b>13,138.79</b>
<b>वहन राशि:</b>				
1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार	2,771.18	332.55	234.05	3,337.78
31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	2,293.86	435.98	187.75	2,917.59
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	1,693.24	365.31	129.65	2,188.20





अन्य उपकरण	2,072	99	-	2,170	1,837	145	-	1,982	188	234
कुल	<b>14,779</b>	<b>548</b>	-	<b>15,327</b>	<b>11,442</b>	<b>968</b>	-	<b>12,409</b>	<b>2,918</b>	<b>3,338</b>
विगत वर्ष	14,779	-	-	14,779	10,185	1,257	-	11,402	3,338	4,595



**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**  
**(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)**  
**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट**

**5. प्रगति पर पूंजीगत कार्य**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
प्रगति पर पूंजीगत कार्य अधिशेष	219,22,725.64	185,57,843.46	185,57,843.46
जोड़ें: निर्माण अवधि के दौरान व्यय से अंतरित	32,93,072.30	33,64,882.18	-
	252,15,797.94	219,22,725.64	185,57,843.46
भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय	119,25,236.57	115,74,436.09	105,27,751.15
	<b>371,41,034.51</b>	<b>334,97,161.73</b>	<b>290,85,594.61</b>

**6. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (गैर चालू)**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार

परिशोधित लागत पर लाई गई, अप्रतिभूत प्रोदभूत ब्याज किंतु जो संबंधित पक्ष से देय नहीं है	6,51,464.03	6,51,464.03	6,51,464.03
	<b>6,51,464.03</b>	<b>6,51,464.03</b>	<b>6,51,464.03</b>

### 7. अन्यगैर-चालू परिसम्पत्तियां

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
<u>अप्रतिभूत, उचित समझी गई (परिशोधित लागत पर)</u>			
पूंजी अग्रिम (भूमि के लिए जमा)	788,56,516.10	786,90,305.73	769,99,891.55
आई.डी.सी.ओ. को अग्रिम (भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा)	6,59,400.00	6,59,400.00	6,59,400.00
<u>प्रतिभूति जमा</u>			
जल संसाधन विभाग	2,10,000.00	2,10,000.00	2,10,000.00
रास्ता छोड़ने संबंधी प्रभार (एसईसीआर)	150.00	150.00	150.00
	<b>797,26,066.10</b>	<b>795,59,855.73</b>	<b>778,69,441.55</b>

### 8. नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति

	अनुसार	अनुसार	केअनुसार
बैंकों में अधिशेष: चालू खातों में	377.98	214.71	18,76,603.46
	<b>377.98</b>	<b>214.71</b>	<b>18,76,603.46</b>

### 9. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति केअनुसार
<u>अप्रतिभूत, उचित समझी गई</u> <u>संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम</u> पी.एफ.सी. लिमिटेड के साथ भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा	5,54,863.49	5,54,863.49	5,54,863.49
नकदी अथवा वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिम	1,61,128.61	1,43,060.45	1,64,539.52
	<b>7,15,992.10</b>	<b>6,97,923.94</b>	<b>7,19,403.01</b>

**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**  
**(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)**  
**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट**

**10. इक्विटी शेयर पूंजी**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
<b>अधिकृत शेयर पूंजी</b> प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>निर्गत, सब्सक्राइब और संदत्त पूंजी में शामिल:</b> प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

(i) वर्ष के आरम्भ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामेलनः:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	राशि	धारित शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरम्भ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00

**(ii) इक्विटी शेयर से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध :**

कंपनी के पास 10 रूपये प्रति शेयर सम मूल्य के इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक उसके द्वारा धारित प्रति शेयर के अनुसार एक वोट देने का पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। सम्पत्ति के मामले में, इक्विटी शेयरधारक सभी प्राथमिक राशियों के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष परिसम्पत्तियों को उनके द्वारा धारित शेयर के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार हैं।

**(iii) धारक कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण:**

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00

(iv) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येकशेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%
पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी*	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%
					0	%

\* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा और इसके नामितियों के माध्यम से धारित हैं.



उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड  
(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)  
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

11. अन्य इक्विटी

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
<u>प्रतिधारित आय</u>			
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष	(12,548.26)	(12,548.26)	(12,548.26)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	-	-	-
वर्ष के अंत में अधिशेष	(12,548.26)	(12,548.26)	(12,548.26)

12. ऋण (गैर चालू)

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
<u>परिशोधित लागत पर लाई गई, अप्रतिभूत</u>			



प्रतिबद्धता अग्रिम प्रोदभूत ब्याज किंतु जो प्रतिबद्धता अग्रिम पर देय नहीं है		40,00,000.00	40,00,000.00	40,00,000.00
	(A)	46,10,575.33	41,98,610.11	37,79,210.11
संबंधित पक्षों से ऋण एवं अग्रिम प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है		86,10,575.33	81,98,610.11	77,79,210.11
	(B)	43,03,463.49	71,27,171.50	40,89,886.51
		44,99,020.75	30,55,909.64	22,43,906.86
		88,02,484.24	101,83,081.14	63,33,793.37
(A+B)		<b>174,13,059.57</b>	<b>183,81,691.25</b>	<b>141,13,003.48</b>

ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तें: कंपनी को सफल बोली लगाने वाले को अंतरण की तारीख के 15 दिनों की अवधि के भीतर पुनर्भुगतान

### 13. अन्य वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर लाई गई भूमि एवं व्यय के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि	990,46,600.12	957,86,600.12	957,86,600.12
	<b>990,46,600.12</b>	<b>957,86,600.12</b>	<b>957,86,600.12</b>

### 14. अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर लाई गई देय व्यय	17,13,333.40	1,86,741.29	2,50,754.01
	<b>17,13,333.40</b>	<b>1,86,741.29</b>	<b>2,50,754.01</b>

#### 15. अन्य चालू देयताएं

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय	71,678.10	62,053.33	63,017.78
	<b>71,678.10</b>	<b>62,053.33</b>	<b>63,017.78</b>

#### 16. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार

- आय कर के लिए प्रावधान	-	-	3,847.25
घटाएं: पूर्वदत्त आयकर	-	-	3,829.94
	-	-	<b>17.31</b>

### 17. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा शुल्क	921.88	921.88
बैंक प्रभार	6.79	6.79
मुद्रण एवं स्टेशनरी	3,455.63	3,260.78
टूर एवं ट्रेवलिंगव्यय	3,948.77	32,751.12
मूल्यहास	729.39	967.74
जनशक्ति संबंधी प्रभार	8,21,025.10	9,36,258.54
आउटसोर्सिंग व्यय	1,08,283.24	1,89,073.83
विज्ञापन परव्यय	4,122.99	5,545.94
वाहन संचालनव्यय	20,115.87	24,034.89
टेलीफोनव्यय	2,105.00	2,662.23
विधिक, व्यावसायिक एवंपरामर्श प्रभार	3,77,853.19	8,44,930.18
भाड़ा	15,022.12	17,243.23
अन्य प्रशासनिक व्यय	24,517.62	29,222.27

ब्याज व्यय	19,10,964.72	12,78,002.78
<b>कुल</b>	<b>32,93,072.30</b>	<b>33,64,882.18</b>

## 18. आयकर

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में आस्थगित कर	-	-
चालू वर्ष के संबंध में	-	-
<b>चालू वर्ष में मान्यताप्राप्त कुल आयकर व्यय</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखा प्रोफाइल के साथ निम्नानुसार समामेलित किया जा सकता है:		
कर पूर्व लाभ	-	-
लागू कर दर	26.00%	25.75%
संगणित कर व्यय	-	-
लाभ अथवा हानि में मान्यताप्राप्त आयकर व्यय	-	-

## 19. प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

<b>आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय</b>		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10
शेयरधारकों से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर उपरांत निवल लाभ/(हानि)	-	-
आधारभूत ई.पी.एस. की गणना के लिए सूचक के रूप में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	50,000	50,000
<b>आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय</b>	-	-
कंपनी द्वारा कोई तनुकृत लिखत जारी नहीं की गई		



उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड  
(सीआईएन:यू40102डीएल2006जी  
ओआई152423)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन  
करने वाला नोट

## 20. वित्तीय लिखत

### (1) पूंजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि यह ओडिशा राज्य में 4000 मेगावाट की अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना के उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण संबंधी पूंजी अपेक्षाओं और पर्यावरण, वन आदि की अनुमति सहित सांविधिक अनुमति के संबंध में प्राथमिक कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने में समर्थ हो सके। कंपनी अपने प्रचालनों का वित्तपोषण प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि के माध्यम से करती है।

कंपनी बाह्य रूप से अधिरोपित किन्हीं पूंजी अपेक्षाओं के अध्यधीन नहीं है।

कंपनी का बोर्ड कंपनी की पूंजी संरचना की पुनरीक्षा आवश्यकता के आधार पर करता है। निधि संबंधी अपेक्षाओं को ऋणों और अग्रिमों के मिश्रण के माध्यम से पूरा किया जाता है। प्रत्याशित निधियन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी की नीति लघु-अवधि और दीर्घावधि ऋणों के उपयोग करने की है।

### (i) वित्तीय लिखत की श्रेणियां

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर लेखबद्ध की			

गई			
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
नकदी एवं बैंक अधिशेष			18,76,603.4
	377.98	214.71	6
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां			
	6,51,464.03	6,51,464.03	6,51,464.03
वित्तीय देयताएं			
	174,13,059.	183,81,691.2	141,13,003.
ऋण	57	5	48
	1007,59,93	959,73,341.4	960,37,354.
अन्य वित्तीय देयताएं	3.52	1	13

### (ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

कंपनी का कोरपोरेट राजस्व प्रभाग, जोखिमों के मात्रा और आकार के अनुसार संवेदनशीलता का विश्लेषण करते हुए, कंपनी के प्रचालनों से संबंधित वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंध करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और सम्पत्ति जोखिम शामिल होते हैं।

### (iii) बाजार जोखिम

कंपनी की गतिविधियां इसे मुख्य रूप से ब्याज दरों में परिवर्तन संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं (कृपया नीचे नोट vi का अवलोकन करें)

बाजार जोखिम संवेदनशीलता का मूल्यांकन संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करते हुए किया जाता है।

बाजार जोखिमों के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता अथवा उस रीति, जिसके माध्यम से इन जोखिमों का प्रबंधन और मूल्यांकन किया जा रहा है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।



**(iv) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन**

कंपनी का विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन नहीं होता है।

**(v) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन**

कंपनी ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह राज्य क्षेत्रउधारकर्ताओं (श्रेणी क) की श्रेणी के तहत समय-समय पर यथानिर्धारित ब्याज दर (अस्थिर ब्याज दर) पर निधियां उधार लेती है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्याज दर के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण इस नोट के सम्पत्ति जोखिम प्रबंधन खंड में दिया गया है।

**ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण**

नीचे दिये गये संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में डेरिवेटिव और गैर-डेरिवेटिव लिखत, दोनों, के लिए ब्याज दरों के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर किया गया है। अस्थिर दर वाली देयताओं के लिए, विश्लेषण, वित्त वर्ष के अंतमें बकाया देयताओं की राशि को मानते हुए तैयार किया गया है जोकि सम्पूर्ण वर्ष के दौरान बकाया थीं। मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को आंतरिक रूप से ब्याज दर जोखिम की सूचना देने और ब्याज दरों में सुसंगत संभाव्य परिवर्तनों का प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए एक 50 बेसिस प्वाइंट वृद्धि अथवाकमी का उपयोग किया गया है।

ब्याज में 50 बेसिसप्वाइंट के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण और सभी अन्य परिवर्ती कारकों को स्थिर रखा गया था जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
लाभ अथवा हानि के लिए प्रभाव	-	-
अन्य विस्तृत आय के लिए प्रभाव	-	-

चालू वर्ष के दौरान, ब्याज दरों के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता में कमी मुख्य रूप से अस्थिर दर के ऋण से स्थिर दर के ऋण में परिवर्तित करने के लिए अस्थिर दर के ऋण लिखत में कटौती और ब्याज दरों में वृद्धि के परिवर्तन के कारण हुई।

**(vi) अन्य मूल्य संबंधी जोखिम**

कंपनी किसी भी मूल्य संबंधी जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है क्योंकि इसका कोई निवेश नहीं है।

**(vii) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन**

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जब प्रतिपक्ष द्वारा उसके संविदात्मक दायित्वों में चूक के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि हो।

कंपनी ने नोट 6 में यथाउल्लिखित पी.एफ.सी. से प्राप्त योग्य राशि के अधिशेष के कारण क्रेडिट जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को सीमित किया है। कंपनी के पास कोई व्यापार प्राप्य नहीं है। इसके अलावा, प्राप्त योग्य राशि इसकी धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) से है।

एक प्रख्यात और विश्वसनीय बैंकिंग स्थान के साथ कंपनी का बैंक अधिशेष होने के परिणामस्वरूप प्रतिपक्षों से क्रेडिट जोखिम सीमित हो जाता है।

**(viii) सम्पत्ति जोखिम प्रबंधन**

कंपनी, पर्याप्त आरक्षित रखरखाव और अनुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी और वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करते हुए सम्पत्ति जोखिम का प्रबंधन करती है।

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
वित्तीय देयताएं						
ऋण	174,13,059.57	-	-	-	174,13,059.57	174,13,059.57

	1007,59,933.5	17,13,333	-	-	990,46,600.	1007,59,933.
अन्य वित्तीय देयताएं	2				12	52

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
वित्तीय देयताएं						
ऋण	183,81,691.25	-	-	-	183,81,691.25	183,81,691.25
अन्य वित्तीय देयताएं	959,73,341.41	1,86,741.29	-	-	957,86,600.	959,73,341.41

1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह

वित्तीय देयताएं						
ऋण	141,13,003.48	-	-	-	141,13,003.48	141,13,003.48
अन्य वित्तीय देयताएं	960,37,354.13	2,50,754.01	-	-	957,86,600.12	960,37,354.13

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6,51,464.03	-	-	-	6,51,464.03	6,51,464.03

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह

नहीं						
ऋण	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6,51,464.03	-	-	-	6,51,464.03	6,51,464.03

1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6,51,464.03	-	-	-	6,51,464.03	6,51,464.03

(ix) वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य:

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार

	उचित मूल्य अनुक्रम	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पत्तियां							
नकदी एवं नकदी समतुल्य	स्तर 3	377.98	377.98	214.71	214.71	18,76,603.46	18,76,603.4
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	स्तर 3	6,51,464.03	6,51,464.03	6,51,464.03	6,51,464.03	6,51,464.03	6,51,464.03
वित्तीय देयताएं							
ऋण	स्तर 3	174,13,059.57	174,13,059.57	183,81,691.2	183,81,691.2	141,13,003.4	141,13,003.4
अन्य वित्तीय देयताएं	स्तर 3	1007,59,933.5	1007,59,933.5	959,73,341.4	959,73,341.4	960,37,354.1	960,37,354.1

वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त वहन राशि के सन्निकट है। वर्ष में स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ था। इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनके उचित मूल्य के सुसंगत सन्निकट है चूंकि कंपनी यह प्रत्याशा नहीं करती है कि वहन मूल्य अंततः प्राप्त और निपटाए गए मूल्य से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होंगे।

**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**  
(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)  
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

**21 संबंधित पक्षों से लेन-देन का विवरण**

**21.1 संबंधित पक्षों का नाम एवं संबंधों का विवरण :**

क्रम सं.	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
3	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
6	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
8	घोसरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
9	तटीय आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
10	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
11	देवगढ़ मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
12	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड	साथी सहायक संस्था

13	ओडिशा इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
14	देवगढ़ इंफ्रा लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
15	बिहार इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
16	झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
18	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
19	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
20	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
21	शांगतोंग कर्चम – वांगतू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
22	बिजावाड-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
23	वापी-II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
24	लकड़िया-वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
25	भुज- II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
26	फतेहगढ़- II ट्रांसको लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम



27	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
----	-----------------------------------	------------------------------------

कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर तैनात किए गए हैं।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यावधि समाप्ति की तारीख
1	श्री सी. गंगोपाध्याय	अध्यक्ष*	30.01.2017	कार्यरत
2	श्रीयोगेश जुनेजा	निदेशक	30.12.2009	कार्यरत
3	श्री सुबीर मूलचंदानी	निदेशक	29.09.2016	कार्यरत
4	श्रीआलोक सूद	निदेशक	23.05.2017	कार्यरत
5	श्री हेमंत शर्मा**	निदेशक	16.08.2013	कार्यरत
6	श्री एम.आर. परहार**	नामितीनिदेशक	27.02.2017	17.05.2018
7	श्री एम.एम. रानवा	नामितीनिदेशक	17.05.2018	कार्यरत

\* 30.01.2017से

\*\*विद्युत खरीदार राज्यों से

## 21.2 लेन-देन का विवरण:

### 21.2. संबंधित पक्ष से लेन-देन

1

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, धारक कंपनी		

ब्याज व्यय	14,43,111.11	8,12,002.78
प्राप्त किए गए ऋण (निवल) <u>पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, साथी सहायक संस्था</u>	(28,23,708.02)	30,37,284.99
जनशक्ति संबंधी प्रभार	8,21,025.10	9,36,258.54
ब्याज व्यय	13,897.45	-
व्यय की प्रतिपूर्ति	5,59,424.43	11,48,724.46

21.2. संबंधित पक्षों के साथ बकाया अधिशेष:

2

विवरण	(₹ सैकड़ों में)		
	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
<u>पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, धारक कंपनी</u>			
ऋण (गैर चालू)	43,03,463.49	71,27,171.50	40,89,886.51
भुगतये/प्रोदभूत ब्याज किंतु जो कि ऋणों पर देय नहीं है	44,99,020.75	30,55,909.64	22,43,906.86
पी.एफ.सी. लिमिटेड के साथ भूमि की सुरक्षित		5,54,863.49	

अभिरक्षा पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, साथी सहायक संस्था	5,54,863.49		5,54,863.49
देय व्यय	13,69,805.89	-	-

**21.3 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारितोषिक:**

कंपनी के कर्माचारी, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के साथ किए गए समझौते के अनुसार संविदात्मक शर्तों के आधार पर है। निदेशकों को किसी भी बैठक शुल्क के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

**21.4** कंपनी के सभी कार्यो का क्रियान्वयन पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा किया जाता है। 8,21,025.10/- रुपये (सैकड़ें में) (विगत वर्ष में 9,36,258,54/- रुपये (सैकड़ें में) का पी.एफ.सी.सी.एल. के कर्मचारियों के लिए जनशक्ति संबंधी प्रभार को पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा, उसके द्वारा निर्धारित कंपनी को लागत आधार/दर पर पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा उठाई गई इनवायस के अनुसार कर्मचारियों द्वारा कंपनी के लिए बिताए गए वास्तविक दिनों के समानुपातन में प्रभारित किया गया, जिसमें श्री योगेश जुनेजा (निदेशक) के लिए 85,099.20/- रुपये (सैकड़ें में) (विगत वर्ष में 63,374.04/- रुपये (सैकड़ें में), श्री सुबिर मूलचंदानी (निदेशक) के लिए 7,622.16/- रुपये (सैकड़ें में) (विगत वर्ष में 23,110.66/- रुपये (सैकड़ें में) और श्री आर. रहमान (निदेशक) शून्यरूपये (विगत वर्ष में 72,222.61/- रुपये (सैकड़ें में) का भुगतान शामिल है जो कंपनी में निदेशक थे/हैं।

**उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड**

**(सीआईएन:यू40102डीएल2006जीओआई152423)**

**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट**

- 22 विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में परियोजना पूरी हो जाने पर संबंधित खरीदार और बोली लगाने वाले के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से विद्युत के विनिर्दिष्ट कोटे के आवंटन के लिए उनके अंशदान के रूप में कंपनी के 40,00,000.00/- (सैकड़ों में) (विगत वर्ष में 40,00,000.00/- (सैकड़ों में) रूपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है तथापि अभी खरीदारों से प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है। उक्त प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन पत्र में दीर्घकालिक ऋण के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी प्राप्त किए गए प्रतिबद्धता अग्रिम पर ब्याज भुगतान करने की किसी प्रतिबद्धता के अधीन नहीं है तथापि, कंपनी/धारक कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इन प्रतिबद्धता अग्रिमों पर ब्याज प्रदान किया गया है। वित्तीय समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रोदभूत ब्याज सहित उक्त प्रतिबद्धता अग्रिम, धारक कंपनी द्वारा कंपनी के सफल बोली दाता को अंतरण की तारीख के 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय होगा।
- 23 पी.एफ.सी. लिमिटेड के साथ वित्तीय समझौते के अनुसार, खरीदारों से प्राप्त 40,00,000.00/- (सैकड़ों में) (विगत वर्ष में 40,00,000.00/- (सैकड़ों में) के कुल प्रतिबद्धता अग्रिम को कंपनी की ओर से परियोजना के व्ययों को भुगतान करने और प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग न किए गए शेष भाग को अल्पकालिक ऋण के रूप में निवेश/प्रतिधारित करने के लिए धारक कंपनी (पी.एफ.सी. लिमिटेड) के पास जमा किया गया है। उन पर देय ब्याज को तुलनपत्र में अन्य चालू परिसम्पत्तियां शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है। तथापि, तुलनपत्र की तारीख के अनुसार, और पी.एफ.सी. लिमिटेड और कंपनी के बीच वित्तीय समझौते के अनुसार ऐसे प्रतिबद्धता अग्रिम में से उपयोग न की गई कोई राशि नहीं बचाई गई है। खरीदारों से प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग के पश्चात्, पी.एफ.सी. लिमिटेड ने व्यय को अपनी स्वयं की निधियों से वहन किया है और वित्तीय समझौते के अनुसार इस प्रकार वहन की गई राशि को अल्पकालिक ऋण के रूप में दर्शाया गया है।
- 24 कंपनी, कंपनी की ओर से उसके द्वारा वहन किए गए व्यय के संबंध में पी.एफ.सी. लिमिटेड को और परियोजना के लिए उपयोग की गई निधि को प्रतिबद्धता अग्रिम के बंटवारे और उपयोग न की गई निधियों के संबंध में खरीदारों को धारक कंपनी की नीति के अनुसार दरों पर ब्याज का भुगतान करती है। उपयोग की गई निधियों पर प्रभारित/भुगतान किया गया ब्याज समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार श्रेणी में राज्य सेक्टर लेनदार श्रेणी 'क' के तहत लेनदारों के लिए परियोजना ऋण/स्कीमों के लिए पीएफसी में लागू है और उपयोग न की गई निधियों के भाग पर, ब्याज की प्राप्ति/भुगतान "पी.एफ.सी.लिमिटेड के मासिक औसत अल्पकालिक जमा दरों" पर किया जाता है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पी.एफ.सी. लिमिटेड से प्राप्ति योग्य है और यह खरीदारों को देय है। उपयोग की गई राशि पर ब्याज के लिए

19,10,964.72/- रुपये (सैकड़ों में) (विगत वर्ष में 12,78,002.78/- (सैकड़ों में)) का ब्याज व्यय किया गया है। उपयोग की गई राशि पर ब्याज को पूंजीकृत किया गया है। देय ब्याज को अन्य गैर चालू वित्तीय देयताओं के तहत दर्शाया गया है।

- 25 कंपनी, पीएफसी लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली सलाह और की गई व्यवसायिक सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में पीएफसी लिमिटेड को 50,00,000.00/- (सैकड़ों में) की राशि का भुगतान करने पर सहमत हो गई है। सलाह और व्यावसायिक सेवाएं देने के लिए शुल्क पीएफसी लिमिटेड को उसी स्थिति में भुगतान किया जाना है जब परियोजना के लिए सफल बोली दाता का चयन कर लिया जाएगा और कंपनी सफल बोली दाता को अंतरित कर दी जाएगी, इसलिए पीएफसी लिमिटेड को भुगतान शुल्क के लिए किसी प्रकार की देयता का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी का अंतरण होने पर इसे सफल बोली दाता को कंपनी का अंतरण किए जाने के वर्ष में वसूल लिया जाएगा।
- 26 परियोजना स्थापित करने की स्कीम के अनुसार, परियोजना का पता लगाने और आरंभिक कार्य के लिए कंपनी द्वारा वहन किया जाना वाला पूरा खर्च, जिसमें लगाई गई निधियों पर ब्याज और लागू करों सहित 50,00,000.00/- रुपये (सैकड़ों में) का व्यावसायिक शुल्क शामिल है, परियोजना के बोली दाता से वसूल किया जाएगा जो कंपनी द्वारा अपनी धारक कंपनी (पीएफसी लिमिटेड) से 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग की खरीद के लिए अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में होगा जिसके बाद अपनी पूरी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ किए जाने वाले शेयर खरीद करार के अनुसार ऐसी बोली लगाने वालों को अंतरित हो जाएगी।
- 27 विद्युत मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि भूमि की लागत खरीदारों द्वारा उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (ओ.आई.पी.एल.) को भुगतान की जाएगी जो कि बाद में भूमि की लागत ओडिशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन (आई.डी.सी.ओ.) को जमा करेगी। तदनुसार, निजी भूमि की लागत का भुगतान विद्युत खरीदारों द्वारा उन्हें आबंटित शेयरों के अनुपात में किया गया। इसके अतिरिक्त, विद्युत खरीदारों ने प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए भी अंशदान दिया। खरीदारों द्वारा ओ.आई.पी.एल. के साथ जमा की गई भूमि लागत और प्रशासनिक व्यय के लिए ओ.आई.पी.एल./पी.एफ.सी. लिमिटेड द्वारा खरीदारों को किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। भूमि की लागत और प्रशासनिक व्यय के रूप में खरीदारों से प्राप्त राशि को ओ.आई.पी.एल. के ऋण अथवा प्रतिबद्धता अग्रिम अथवा सामान्य दिन-व-दिन के व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, खरीदारों द्वारा भूमि के लिए 990 करोड़ रुपये (विगत वर्ष में 957 करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया

- 28 a.** एक प्रमुख पावर प्लांट भूमि के लिए: भूमि की अनुमानित लागत के लिए ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चल डेवलेपमेंट कारपोरेशन (आई.डी.सी.ओ. को 846 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया, जो आई.डी.सी.ओ. और जिला कलेक्टर के स्थापना और प्रशासनिक प्रभारों को मिलाकर है। जिला प्रशासन, सुंदरगढ़ द्वारा 6 गांव अर्थात् कांदाबहल (कालोनी), भेदाबहल, किरैई, रुपीदिही, कोपसिंहा और लंकाहुडा के लिए 2733 एकड़ के लिए विलेख के अंतरण का पंजीकरण आई.डी.सी.ओ., भुवनेश्वर के पक्ष में पूरा किया जा चुका है।
- b.** मुख्य पावर प्लांट भूमि के लिए: सरकारी की 444 एकड़ की गैर-वन भूमि को 33 मामलों में विमुख किया जा रहा है। 406.75 एकड़ की सरकारी भूमि के लिए लीज स्वीकृत हो गई है। 334.29 एकड़ की सरकारी भूमि के लिए लीज विलेख कार्यान्वित किया गया।
- c.** कोल ट्रांसपोर्टेशन कोरिडोर के लिए: 278.03 एकड़ की निजी भूमि के लिए ओडिशा सरकार ने एल.ए.आर.आर. अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी की है।
- d.** (i) “प्रत्यक्ष खरीद दिशानिर्देश” के अनुसार, संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात्, एस.एच.-10 से मुख्य पावर प्लांट तक भूमि की प्रत्यक्ष बिक्री के लिए प्रस्ताव को आई.डी.सी.ओ. द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।
- ii) मीनाक्षी, मीनाक्षी बी और मीनाक्षी कोल ब्लॉक की डिप साईड के लिए एकीकृत जी.आर. तैयार किया गया है और ओ.आई.पी.एल. के पास उपलब्ध है।
- 29 a.** जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार ने हीराकुंड रिजर्वायर से ओ.आई.पी.एल. के पक्ष में 140 क्यूसेक जल आबंटित किया गया है और इस संबंध में जल संसाधन विभाग को 2.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
- b.** जल पाइपलाइन कोरिडोर के लिए: ओडिशा सरकार ने परामर्श दिया कि निजी भूमि के आर.ओ.यू. के लिए अधिनियम/दिशानिर्देशों की अनुपलब्धता के कारण आर.एफ.सी.डी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 के तहत निजी भूमि का अधिग्रहण करना उचित है। ओ.आई.पी.एल. ने 20.02.2018 ने पत्र के तहत कलेक्टर, सम्बलपुर, झारसुगुडा और सुंदरगढ़ से निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 4 को पुनः जारी करने का अनुरोध किया। कलेक्टर, सम्बलपुर, झारसुगुडा और सुंदरगढ़ ने आर एंड डी एम विभाग, ओडिशा सरकार से नवीनतम धारा 4 को जारी करने का अनुरोध किया।
- c.** सुंदरगढ़, झारसुगुडा और सम्बलपुर जिलों के एल.ए. प्रस्तावों को उनके कलेक्टर के अनुरोध पर क्रमशः 24.05.2018, 07.06.2018 और 12.07.2019 को प्रस्तुत किया गया। सुंदरगढ़ और सम्बलपुर के प्रस्तावों को धारा-4 अधिसूचना को जारी करने के लिए राजस्व विभाग को दिनांक 13.06.2018 और 03.09.2018 को अग्रेषित किया गया।
- d.** राजस्व विभाग, एन.सी.डी.एस. और ओ.आई.पी.एल. की दिनांक 03.01.2019 को आयोजित की एक संयुक्त बैठक के दौरान अपर सचिव द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को निष्प्रभावी किया जाएगा और इसके उपरांत एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी। एन.सी.डी.एस., एस.आई.ए. सर्वेक्षण को पुनर्वैधीकरण करने के लिए शुल्क के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। यह पाया गया कि जल पाइपलाइन, एन.एल.सी. इंडिया द्वारा पावर प्लांट के लिए प्रस्तावित साईट से

होकर गुजरती है। एन.एल.सी. ने सी.ई.ए. ने जल पाइपलाइन को रास्ता बदलने का अनुरोध किया। सी.ई.ए., एन.एल.सी. और पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा दिनांक 25.02.2019 को संयुक्त रूप से किए गए साईट दौर के पश्चात् संयुक्त बैठक में सी.ई.ए. द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जल पाइपलाइन का स्थान बदला जा सकता है और रास्ता बदलने के संभावित रास्तों का पता लगाया जाए।

- 30 नोट संख्या 17 में दर्शाए गए व्यय, मुख्य रूप से पी.एफ.सी.एल./पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा एसपीवी को आवंटित किए जाते हैं एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100% आधार पर आवंटित किए जाते हैं और विभिन्न एसपीवी के बीच सेवाओं की साझेदारी के आधार पर सामान्य व्यय का आवंटन किया जाता है पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय के संबंध में मूल समर्थनकारी बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास होती हैं पीएफसीएल/पीएफसीसीएल इन व्ययों पर लागू स्रोत पर कटौती और जीएसटी से जुड़े सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं।
- 31 पूंजीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित सभी व्यय सहित निर्माण अवधि के दौरान व्यय (नोट-17) को तैयार किया गया है और इसे प्रगति पर पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है।
- 32 कंपनी ने अग्रिमों (प्राप्ति योग्य और भुगतान योग्य) के तहत कवर किए गए विभिन्न पक्षों को कंपनी के बहीखाते के अनुसार उनके अधिशेष की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे हैं। जिनके बारे में संबंधित पक्षों से पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।
- 33 वर्ष के दौरान 4,027.95 (सैकड़ों में) की राशि को अनुमानों में परिवर्तन अर्थात् विगत वर्ष में किए गए प्रावधान और जो चालू वित्तीय वर्ष में अपेक्षित नहीं है, के कारण प्रगति पर पूंजीगत कार्य में जमा किया गया है।
- 34 **कर्मचारी लाभ योजना**  
चूंकि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है, अतः इंड ए.एस.-19 के अनुसार दायित्व लागू नहीं होते हैं।

35 **प्रतिबद्धताएं:**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति

	के अनुसार	के अनुसार	के अनुसार
(a) पूंजीगत खातों के संबंध में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल):	6,32,000.00	6,32,000.00	4,76,000.00
(b) पुनरूद्धार और पुनर्वास के तहत व्यय को भी अनुमानित किया गया है जो कि लगभग उतना होगा जो भूमि स्वामियों की प्रतिबद्धताओं के लिए व्यय किया जाएगा	1362,38,000.00	1362,38,000.00	1362,38,000.00
(c) अन्य प्रतिबद्धताएं	0	0	0

**36 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
कंपनी की आकस्मिक देयताएं और कंपनी के विरुद्ध दावों को कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है जैसा की अवधि के लिए प्रबंधन ने प्रमाणित किया है। इसके अलावा, कंपनी को कोई आकस्मिक परिसम्पत्तियां और आकस्मिक लाभ की संभावना नहीं है।	-	-	-
	-	-	-

**37 कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम") के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय का विवरण:**

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(a) लेखांकन अवधि के अंत में किसी आपूर्ति कर्ता को अदत्त मूल राशि और उन पर देय ब्याज का शेष			



	-	-	
(b) लेखांकन अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकरता को भुगतान की गई राशि सहित एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि	-	-	-
(c) भुगतान में की गई देरी की अवधि के लिए देय और भुगतेय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद किया गया) किंतु एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-	-
(d) लेखांकन अवधि के अंत में प्रोदभूत और अदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-	-
(e) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अनुमति न देने के उद्देश्य से, अनुवर्ती वर्षों में भी, उस तारीख तक जिसे उपरोक्त देय ब्याज को लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान कर दिया गया, देय और भुगतेय शेष अतिरिक्त ब्याज की राशि	-	-	-

### 38 लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक लेखा परीक्षा *	921.88	921.88
<b>कुल</b>	<b>921.88</b>	<b>921.88</b>

\* जी.एस.टी. सहित

### 39 खंडीय जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल जिसे प्रचालन संबंधी प्रमुख नीति नियंता (सी ओ डी एस) माना जाता है कंपनी के निष्पादन का आकलन करता है और कंपनी के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधन आवंटित करता है। कंपनी का निगमन मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया गया है और वर्तमान में यह विद्युत संयंत्र स्थापित करने में संलग्न है और कंपनी की सभी गतिविधियां एकल इकाई के रूप में इस मुख्य व्यापार के इर्द-गिर्द घूमती हैं इसके अतिरिक्त कोई भौगोलिक खंड नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत में हैं इसलिए इंड एस 108 “प्रचालन खंड” के अनुसार कंपनी द्वारा अलग से रिपोर्ट करने के लिए कोई खंड नहीं है

### 40 अन्य प्रकटन:

- (a) विदेशी मुद्रा में व्यय- शून्य
- (b) विदेशी विनियम में आय- शून्य

- 41 कंपनी के महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्थाएं कार्यालय के लिए परिसर की प्रचालन लीजों के संबंध में एक से दो वर्ष की अवधि के लिए हैं। ये लीजिंग व्यवस्थाएं सामान्यतः आपसी सहमति की शर्तों के अनुसार पुनर्नवीकरण योग्य हैं। कार्यालय के परिसर के संबंध में 15,022.12/- रुपये (सैकड़ों में)(विगत वर्ष में 17,243.23/- रुपये (सैकड़ों में) के लीज भुगतान को नोट 18 – ‘निर्माण अवधि के दौरान व्यय’ के तहत शामिल किया गया है।
- 42 इंड ए.एस. में संक्रमण की तारीख को, कंपनी ने इंड ए.एस. 101 के अनुसार लागत समझे जाने वाले पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के अनुसार संपत्ति, प्लांट और उपकरण के वहन मूल्य पर विचार किया है।
- 43 कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू जी ए पी पी के अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जिसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक ‘ए एस’ शामिल है। वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़े उन्हीं लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जिनका उपयोग कंपनी के प्रथम इंड ए.एस. विवरणों को तैयार करने के लिए किया जाता है..
- 44 प्रथम बार इंड ए.एस. को अपनाए जाने का समामेलन: -
- 44 1 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र पर इंड ए.एस. अपनाए जाने
- .1 के प्रभाव: -

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2017			31 मार्च, 2018		
	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.
<b>परिसम्पत्तियां</b>						
<b>गैर-चालू परिसम्पत्तियां</b>						
(a) संपत्ति, प्लांट और उपकरण	3,337.78	-	3,337.78	2,917.59	-	2,917.59
(b) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	290,79,044.21	6,550.40	290,85,594.61	334,97,161.73	-	334,97,161.73
(c) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6,51,464.03	-	6,51,464.03	6,51,464.03	-	6,51,464.03
(d) अन्यगैर-चालू परिसम्पत्तियां	778,69,441.55	-	778,69,441.55	795,59,855.73	-	795,59,855.73
<b>कुलगैर-चालू परिसम्पत्तियां</b>	1076,03,287.5	6,550.40	1076,09,837.9	1137,11,399.0	-	1137,11,399.0
	7		7	8		8
<b>चालू परिसम्पत्तियां</b>						
(a) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	18,76,603.46	-	18,76,603.46	214.71	-	214.71
(b) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	7,19,403.01	-	7,19,403.01	6,97,923.94	-	6,97,923.94
<b>कुलचालू परिसम्पत्तियां</b>						

	25,96,006.47	-	25,96,006.47	6,98,138.65	-	6,98,138.65
<b>कुलपरिसम्पत्तियां</b>	<b>1101,99,294.0</b> 4	<b>6,550.40</b>	<b>1102,05,844.4</b> 4	<b>1144,09,537.7</b> 3	-	<b>1144,09,537.7</b> 3

<b>इक्विटी एवं देयताएं</b>						
<b>इक्विटी</b>						
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
(b) अन्य इक्विटी	(12,530.95)	(17.31)	(12,548.26)	(12,548.26)	-	(12,548.26)
<b>कुलइक्विटी</b>	<b>(7,530.95)</b>	<b>(17.31)</b>	<b>(7,548.26)</b>	<b>(7,548.26)</b>	<b>-</b>	<b>(7,548.26)</b>
<b>देयताएं</b>						
<b>गैर-चालू देयताएं</b>						
(a) वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	141,13,003.48	-	141,13,003.48	183,81,691.25	-	183,81,691.25
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	957,86,600.12	-	957,86,600.12	957,86,600.12	-	957,86,600.12
<b>कुलगैर-चालू देयताएं</b>	<b>1098,99,603.6</b> 0	<b>-</b>	<b>1098,99,603.6</b> 0	<b>1141,68,291.3</b> 7	<b>-</b>	<b>1141,68,291.3</b> 7
<b>चालू देयताएं</b>						

(a) वित्तीय देयताएं						
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	2,44,203.61	6,550.40	2,50,754.01	1,86,741.29	-	1,86,741.29
(b) अन्य चालू देयताएं	63,017.78	-	63,017.78	62,053.33	-	62,053.33
(c) चालू कर देयताएं (निवल)	(0.00)	17.31	17.31	-	-	-
<b>कुलचालू देयताएं</b>	<b>3,07,221.39</b>	<b>6,567.71</b>	<b>3,13,789.10</b>	<b>2,48,794.62</b>	<b>-</b>	<b>2,48,794.62</b>
<b>कुलइक्विटी एवं देयताएं</b>	<b>1101,99,294.0</b>	<b>1102,05,844.4</b>	<b>1144,09,537.7</b>	<b>1144,09,537.7</b>	<b>-</b>	<b>1144,09,537.7</b>
	<b>4</b>	<b>6,550.40</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

44  
.2

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण पर इंड ए.एस. को अपनाए जाने का प्रभाव: -

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	पूर्ववर्ती जी.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.
प्रचालनों से राजस्व	-	-	-
अन्य आय	-	-	-
<b>कुल राजस्व (I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

व्यय			
अन्य व्यय	-	-	-
कुलव्यय ((II))	-	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)	-	-	-
कर व्यय:			
(1) चालू कर	-	-	-
(2) आस्थगित कर	-	-	-
कुलकर व्यय	-	-	-
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-

- 44 1 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार अन्य इक्विटी पर इंड ए.एस. अपनाए जाने के प्रभाव: -

(₹ सैकड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार

आई.जी.ए.पी. के तहत यथासंसूचित अन्य इक्विटी	(12,548.26)	(12,530.95)
संक्रमण तारीख को इक्विटी में कमी		
इंड ए.एस.समायोजन:		
निवेश की बिक्री पर लाभ की वापिसी	-	-
अन्य समायोजन		
पूर्वावधि समायोजन	-	(17.31)
चालू कर	-	-
उपरोक्त समायोजनों पर डी.टी.ए./डी.टी.एल. प्रभाव	-	-
इक्विटी पर कुल प्रभाव	-	(17.31)
इंड ए.एस. के तहत यथासंसूचित अन्य इक्विटी	(12,548.26)	(12,548.26)

44 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर इंड ए.एस. को अपनाए जाने का प्रभाव:

.4 -

(₹ सैकड़ों में)

विवरण*	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			

	(43,515.41)	-	(43,515.41)
निवेशी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(61,01,561.11)	-	(61,01,561.11)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	42,68,687.77	-	42,68,687.77
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	<b>(18,76,388.75)</b>	-	<b>(18,76,388.75)</b>
जोड़े: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य	18,76,603.46	-	18,76,603.46
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	214.71	-	214.71

\* वर्ष के दौरान आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया गया है।

#### 45 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और 14.05.2019 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

(आलोक सूद)

(पी.के. सिंह)

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

(योगेश जुनेजा)



डी.आई.एन.:02913155

डी.आई.एन.: 03548218

डी.आई.एन.:02913155

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के

अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए

केएलसी एंड कंपनी

(सनदी लेखाकार)

(फर्म पंजीकरण संख्या : 02435एन)

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
<b>मुद्रण एवं स्टेशनरी</b>		
मुद्रण एवं स्टेशनरी	3,455.63	3,260.78
<b>कुल</b>	<b>3,455.63</b>	<b>3,260.78</b>
<b>टूर एवं ट्रेवलिंग</b>		
स्थानीय वाहन-व्यय प्रतिपूर्ति	3.56	1.99
टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी (आवास)	760.50	4,616.05
टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी (अन्य)	189.85	7,293.71
टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी (रेलवे)	1,041.47	7,062.24
ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता(हवाई)	1,794.10	6,172.36
ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता(आवास)	159.29	4,434.36
ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता-अन्य	-	3,170.41
<b>कुल</b>		

	<b>3,948.77</b>	<b>32,751.12</b>
<b>वाहन संचालनव्यय</b>		
लीज किराया - वाहन	716.74	340.92
वाहन के लिए जनशक्ति	1,213.87	556.63
लीज किराया		867.89
वाहन किराया एवं संचालन व्यय	18,185.26	22,269.45
<b>कुल</b>	<b>20,115.87</b>	<b>24,034.89</b>
<b>टेलीफोन संबंधी व्यय</b>		
टेलीफोन संबंधी व्यय (परामर्शदाता)	118.28	389.02
टेलीफोन संबंधी व्यय (कर्मचारी)	4.46	-
टेलीफोन संबंधी व्यय (कार्यालय)	1,982.26	2,273.21
<b>कुल</b>	<b>2,105.00</b>	<b>2,662.23</b>
<b>विधिक, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार</b>		
विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	1,706.55	3,095.92

व्यावसायिक प्रभार	155.52	1,88,147.53
परामर्श संबंधी व्यय	3,75,991.12	6,53,686.73
<b>कुल</b>	<b>3,77,853.19</b>	<b>8,44,930.18</b>
<b>प्रशासनिक व्यय</b>		
कैंटीन व्यय	5,275.71	5,075.76
अन्य कल्याणकारी गतिविधियों संबंधी व्यय (कर्मचारी लागत)	-	159.01
पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	96.93	109.21
विद्युत एवं जल प्रभार	1,854.67	1,743.53
पोस्टेज एवं कूरियर	380.86	515.27
मानदेय	-	69.45
बैठक व्यय	2,109.85	3,649.62
कार्यालय रखरखाव	8,766.52	10,934.42
शासकीय आतिथ्य सत्कार		

	1,272.09	1,133.04
शासकीय आतिथ्य सत्कार (कर्मचारी लागत)	-	-
प्रतिभूति व्यय	3,372.18	5,320.22
प्रशिक्षणव्यय	930.51	46.88
फोटोग्राफी व्यय	21.03	12.62
अनुवाद व्यय	49.57	47.76
मरम्मत एवं रखरखाव	-	405.48
विविध व्यय	175.30	
कार्यालयशिफ्टिंग व्यय	212.40	-
<b>कुल</b>	<b>24,517.62</b>	<b>29,222.27</b>

विविधव्यय		
विविधव्यय		-
टीडीएस पर ब्याज	-	-

कुल	-	-
-----	---	---

भुगतेय व्यय		
व्यापार प्रदेय-अन्य	2,37,336.31	84,235.84
अंतर-कंपनी भुगतेय	547.55	547.55
प्रतिभूति जमा - वेंडर्स	1,05,647.23	1,01,961.48
वेंडरों को अग्रिम (आई.टी. विभाग)	(3.58)	(3.58)
पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय	13,57,298.19	-
पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय ब्याज	12,507.70	-
<b>कुल</b>	<b>17,13,333.40</b>	<b>1,86,741.29</b>

पी.एफ.सी.सी.एल.  
बही खाता

### Trial Balance

07-05-2019 12:22

अवधि: Mar-18/19

मुद्रा: आई.ए.आर.  
अधिशेष का प्रकार: वर्ष से तारीख  
बहीखाता: पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता  
कंपनी: 2004 उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

खाता	विवरण	आरम्भिक अधिशेष	डेबिट	क्रेडिट	अंतिम अधिशेष
101101	कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	6,673	-	-	6,673
101102	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	6,484	-	-	6,484
101103	कार्यालय उपकरण	2,170	-	-	2,170
101201	संचित मूल्यहास - कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	(6,237)	-	71	(6,307)
101202	संचित मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स	(4,190)	-	601	(4,791)

101203	संचित मूल्यहास - कार्यालय उपकरण	(1,982)	-	58	(2,041)
101301	परिसम्पत्तियांनिकासी	-	129	129	-
101401	भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी व्यय	115,74,436	3,50,800	-	119,25,237
101402	भूमि के लिए पूंजी अग्रिम	6,59,400	-	-	6,59,400
101403	प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) अन्य	219,22,726	-	-	219,22,726
102301	भूमि के लिए जमा	786,90,306	1,66,210	-	788,56,516
104111	पी.एफ.सी. से वसूली योग्य	-	25,618	25,618	-
104130	वेंडरों को अग्रिम	1,43,064	1,12,296	94,228	1,61,132
104140	पी.एफ.सी. के साथ भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा	5,54,863	-	-	5,54,863
104503	प्रतिभूति जमा - अन्य	2,10,150	-	-	2,10,150
106206	एस.बी.आई.-30076353670	215	32,95,525	32,95,362	378
107233	पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	6,51,464	-	-	6,51,464



201151	लाभ एवं हानि	12,548	-	-	12,548
201201	इक्विटी शेयर पूंजी	(5,000)	-	-	(5,000)
202201	प्रतिबद्धता अग्रिम	(40,00,000)	-	-	(40,00,000)
	व्यय के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि	-	-	32,60,000	(32,60,000)
202202	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि	(957,86,600)	-	-	(957,86,600)
204102	व्यापार प्रदेय - परामर्शदाता/कोरिडोर	-	10,895	10,895	-
204105	व्यापार प्रदेय-अन्य	(84,236)	75,29,391	76,82,491	(2,37,336)
204152	पी.एफ.सी. को प्रदेय	(71,27,172)	48,01,648	19,77,940	(43,03,463)
204153	पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय	-	618	13,57,916	(13,57,298)
205153	प्रतिभूति जमा - वेंडर	(1,01,961)	3,626	7,311	(1,05,647)
205406	धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./कंपनी	(15,375)	60,752	72,832	(27,455)
205407	धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	(78)	60,217	60,981	(843)

205410	धारा 194 ए के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	(46,600)	46,600	43,381	(43,381)
206102	पी.एफ.सी. को प्रदेय ब्याज	(30,55,910)	-	14,43,111	(44,99,021)
206103	खरीदारों को प्रदेय ब्याज	(41,98,610)	-	4,11,965	(46,10,575)
206104	पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय ब्याज	-	1,390	13,897	(12,508)
305301	विविध आय	-	3,457	3,457	-
400101	परामर्श संबंधी व्यय	-	4,25,073	49,082	3,75,991
400102	विज्ञापन व्यय - एसाईनमेंट	-	3,255	102	3,153
400305	कैंटीन व्यय	-	9,089	3,813	5,276
400306	लीज किराया	-	6,059	191	5,868
401101	मूल्यहास - कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	-	71	-	71
401102	मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स	-	601	-	601
401103	मूल्यहास - कार्यालय उपकरण	-	58	-	58

402151	लेखापरीक्षा शुल्क	-	922	-	922
402153	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	138	138	-
402201	जनशक्ति संबंधी प्रभार	-	8,38,351	17,326	8,21,025
402401	उपयोग किए गए भाग पर ब्याज व्यय	-	19,10,965	-	19,10,965
404101	टेलीफोन संबंधी व्यय (परामर्शदाता)	-	147	29	118
404102	टेलीफोन व्यय. (कर्मचारी)	-	5	0	4
404103	टेलीफोन संबंधी व्यय (कार्यालय)	-	2,218	236	1,982
404111	स्थानीय वाहन-व्यय प्रतिपूर्ति	-	4	0	4
404112	टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी - (आवास)	-	780	19	761
404113	टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी - (अन्य)	-	266	76	190
404114	टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी - (रेल एवं हवाई)	-	1,430	388	1,041
404115	ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता(हवाई एवं रेल)	-	2,156	362	1,794

404116	ट्रैवलिंग व्यय परामर्शदाता(भोजन एवं आवास)	-	398	238	159
404117	ट्रैवलिंग व्यय परामर्शदाता-अन्य	-	191	191	-
404152	विज्ञापन व्यय- अप्रत्यक्ष	-	1,002	32	970
404153	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	-	104	7	97
404155	विद्युत एवं जल प्रभार	-	2,361	506	1,855
404156	फोटोग्राफी व्यय	-	22	1	21
404159	अनुवाद व्यय	-	93	44	50
404251	लीज किराया - वाहन	-	770	54	717
404252	विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	-	1,761	54	1,707
404253	वाहन के लिए जनशक्ति	-	1,470	256	1,214
404254	बैठक व्यय	-	2,307	197	2,110
404301	विविध व्यय	-	177	2	175

404321	कार्यालय रखरखाव	-	9,363	597	8,767
404322	कार्यालय भाड़ा	-	14,612	5,458	9,154
404323	कार्यालय शिफ्टिंग व्यय	-	219	7	212
404324	शासकीय आतिथ्य सत्कार	-	1,336	64	1,272
404352	पोस्टेज एवं कुरियर	-	400	19	381
404353	मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	3,838	383	3,456
404354	आउटसोर्सिंग व्यय	-	1,20,160	11,877	1,08,283
404363	व्यावसायिक प्रभार	-	35,622	35,467	156
404501	प्रतिभूति व्यय	-	3,472	99	3,372
404604	डेबिट नोट पर कर	-	1,10,409	1,10,409	-
404671	प्रशिक्षण व्यय	-	1,096	166	931
404701	वाहन किराया एवं संचालन व्यय	-	22,170	3,984	18,185

406103	बैंक प्रभार	-	7	-	7
920001	अंतर-कंपनी प्रदेय	(548)	-	-	(548)
920406	टी.डी.एस.निकासी - धारा 194 जे के तहत/ कंपनी	-	9,225	9,225	-
920407	टी.डी.एस.निकासी - धारा 194 जे के तहत/ गैरकंपनी	-	31,678	31,678	-
	<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>200,45,019</b>	<b>200,45,019</b>	<b>(0)</b>

#### वेंडरों को अग्रिम

	आरम्भिक अधिशेष	अतिरिक्त	संदत्त	अंतिम अधिशेष
आयकर विभाग	4	-		4
व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (नबकृष्णा)	45,472			45,472
व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एम.ई.सी.एल.) - डिप साईड	42,670		-	42,670
व्यावसायिक प्रभारों के लिए				

अग्रिम (एम.ई.सी.एल.) - मीनाक्षी कोल	54,919		-	54,919
आई.डी.सी.ओ. को अग्रिम	-	18,068	-	18,068
	1,43,064	18,068	-	1,61,132

खाता	विवरण	आरम्भिक अधिशेष	डेबिट	क्रेडिट	अंतिम अधिशेष
101101	कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	6,67,267	-	-	6,67,267
101102	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	6,48,412	-	-	6,48,412
101103	<b>कार्यालय उपकरण</b>	2,17,019	-	-	2,17,019
101201	संचित मूल्यहास - कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	(6,23,669)	-	7,067	(6,30,736)
101202	संचित मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स	(4,19,026)	-	60,062	(4,79,088)
101203	संचित मूल्यहास - <b>कार्यालय उपकरण</b>	(1,98,244)	-	5,810	(2,04,054)
101301	परिसम्पत्तियांनिकासी	-	12,870	12,870	-
101401	भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी व्यय	11574,43,609	350,80,048	-	11925,23,657

101402	भूमि के लिए पूंजी अग्रिम	659,40,000	-	-	659,40,000
101403	प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) अन्य	21922,72,564	-	-	21922,72,564
102301	भूमि के लिए जमा	78690,30,573	166,21,037	-	78856,51,610
104111	पी.एफ.सी. से वसूली योग्य	-	25,61,785	25,61,785	-
104130	वेंडरों को अग्रिम	143,06,403	112,29,615	94,22,799	161,13,219
104140	पी.एफ.सी. के साथ भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा	554,86,349	-	-	554,86,349
104503	प्रतिभूति जमा - अन्य	210,15,000	-	-	210,15,000
106206	एस.बी.आई.-30076353670	21,471	3295,52,499	3295,36,172	37,798
107233	पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	651,46,403	-	-	651,46,403
201151	लाभ एवं हानि	12,54,826	-	-	12,54,826
201201	इक्विटी शेयर पूंजी	(5,00,000)	-	-	(5,00,000)
202201	प्रतिबद्धता अग्रिम	(4000,00,000)	-	-	(4000,00,000)
	व्यय के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि				



		-	-	3260,00,000	(3260,00,000)
202202	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि	(95786,60,012)	-	-	(95786,60,012)
204102	व्यापार प्रदेय - परामर्शदाता/कोरिडोर	-	10,89,458	10,89,458	-
204105	व्यापार प्रदेय-अन्य	(84,23,584)	7529,39,081	7682,49,128	(237,33,631)
204152	पी.एफ.सी. को प्रदेय	(7127,17,150)	4801,64,767	1977,93,966	(4303,46,349)
204153	पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय	-	61,800	1357,91,619	(1357,29,819)
205153	प्रतिभूति जमा - वेंडर	(101,96,148)	3,62,559	7,31,134	(105,64,723)
205406	धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./कंपनी	(15,37,520)	60,75,241	72,83,211	(27,45,490)
205407	धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	(7,813)	60,21,705	60,98,143	(84,251)
205410	धारा 194 ए के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	(46,60,000)	46,60,000	43,38,069	(43,38,069)
206102	पी.एफ.सी. को प्रदेय ब्याज	(3055,90,964)	-	1443,11,111	(4499,02,075)
206103	खरीदारों को प्रदेय ब्याज	(4198,61,011)	-	411,96,522	(4610,57,533)
206104	पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय ब्याज	-	1,38,975	13,89,745	(12,50,770)

305301	विविध आय	-	3,45,683	3,45,683	-
400101	परामर्श संबंधी व्यय	-	425,07,342	49,08,230	375,99,112
400102	विज्ञापन व्यय - एसाईनमेंट	-	3,25,529	10,245	3,15,284
400305	कैंटीन व्यय	-	9,08,874	3,81,303	5,27,571
400306	लीज किराया	-	6,05,887	19,069	5,86,818
401101	मूल्यहास - कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	-	7,067	-	7,067
401102	मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स	-	60,062	-	60,062
401103	मूल्यहास - कार्यालय उपकरण	-	5,810	-	5,810
402151	लेखापरीक्षा शुल्क	-	92,188	-	92,188
402153	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	13,835	13,835	-
402201	जनशक्ति संबंधी प्रभार	-	838,35,145	17,32,635	821,02,510
402401	उपयोग किए गए भाग पर ब्याज व्यय	-	1910,96,472	-	1910,96,472
404101	टेलीफोन संबंधी व्यय (परामर्शदाता)				

		-	14,740	2,912	11,828
404102	टेलीफोन व्यय. (कर्मचारी)	-	460	14	446
404103	टेलीफोन संबंधी व्यय (कार्यालय)	-	2,21,828	23,602	1,98,226
404111	स्थानीय वाहन-व्यय प्रतिपूर्ति	-	368	12	356
404112	टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी - (आवास)	-	77,999	1,949	76,050
404113	टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी - (अन्य)	-	26,552	7,567	18,985
404114	टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय - कर्मचारी - (रेल एवं हवाई)	-	1,42,958	38,811	1,04,147
404115	ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता(हवाई एवं रेल)	-	2,15,575	36,165	1,79,410
404116	ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता(भोजन एवं आवास)	-	39,759	23,830	15,929
404117	ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता-अन्य	-	19,066	19,066	-
404152	विज्ञापन व्यय- अप्रत्यक्ष	-	1,00,168	3,153	97,015
404153	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	-	10,375	682	9,693
404155	विद्युत एवं जल प्रभार				

		-	2,36,059	50,592	1,85,467
404156	फोटोग्राफी व्यय	-	2,171	68	2,103
404159	अनुवाद व्यय	-	9,319	4,362	4,957
404251	लीज किराया - वाहन	-	77,035	5,361	71,674
404252	विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	-	1,76,079	5,424	1,70,655
404253	वाहन के लिए जनशक्ति	-	1,46,957	25,570	1,21,387
404254	बैठक व्यय	-	2,30,704	19,719	2,10,985
404301	विविध व्यय	-	17,683	153	17,530
404321	कार्यालय रखरखाव	-	9,36,335	59,683	8,76,652
404322	कार्यालय भाड़ा	-	14,61,198	5,45,804	9,15,394
404323	कार्यालय शिफ्टिंग व्यय	-	21,930	690	21,240
404324	शासकीय आतिथ्य सत्कार	-	1,33,632	6,423	1,27,209
404352	पोस्टेज एवं कुरियर	-	40,025	1,939	38,086

404353	मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	3,83,841	38,278	3,45,563
404354	आउटसोर्सिंग व्यय	-	120,15,977	11,87,653	108,28,324
404363	व्यावसायिक प्रभार	-	35,62,230	35,46,678	15,552
404501	प्रतिभूति व्यय	-	3,47,158	9,940	3,37,218
404604	डेबिट नोट पर कर	-	110,40,886	110,40,886	-
404671	प्रशिक्षण व्यय	-	1,09,640	16,589	93,051
404701	वाहन किराया एवं संचालन व्यय	-	22,16,971	3,98,445	18,18,526
406103	बैंक प्रभार	-	679	-	679
920001	अंतर-कंपनी प्रदेय	(54,755)	-	-	(54,755)
920406	टी.डी.एस.निकासी - धारा 194 जे के तहत/ कंपनी	-	9,22,451	9,22,451	-
920407	टी.डी.एस.निकासी - धारा 194 जे के तहत/ Non कंपनी	-	31,67,757	31,67,757	-
	<b>कुल</b>	<b>(0)</b>	<b>20045,01,898</b>	<b>20045,01,898</b>	<b>(0)</b>

पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

ट्रायल अधिशेष- कुल

मुद्रा

रिपोर्टतारीख:

43,232

अवधि: Adj5-1

43,282

पृष्ठ:

1 of 3

मुद्रा: आई.ए.आर.

अधिशेष का प्रकार: वर्ष से तारीख

कंपनीरेंज: 2004 to 2004

बहीखाता: पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

कंपनी: 2004 उड़ीस इंडीग्रेटेड पावर

लिमिटेड

खाता	विवरण	आरम्भिक अधिशेष	डेबिट	क्रेडिट	अंतिम अधिशेष
-----	-----	-----	-----	-----	-----
101101	कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	6,561	112	-	6,673
101102	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	6,147	337	-	6,484
101103	कार्यालय उपकरण	2,072	99	-	2,170

101201	संचित मूल्यहास - कंप्यूटर	(6,228)	-	9	(6,237)	
101202	संचित मूल्यहास - फर्नीचर	(3,376)	-	814	(4,190)	
101203	संचित मूल्यहास - कार्यालय	(1,837)	-	145	(1,982)	
101401	भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी व्यय	105,27,751	12,17,262	1,70,577	115,74,436	10,46,685
101402	भूमि के लिए पूंजी अग्रिम प्रगति पर पूंजीगत कार्य	6,59,400	-	-	6,59,400	
101403	(सी.डब्ल्यू.आई.पी.)	185,51,293	1,213	1,213	185,51,293	
102301	भूमि के लिए जमा	769,99,892	50,33,058	33,42,644	786,90,306	
104111	पी.एफ.सी. से वसूली योग्य	-	6,51,427	6,51,427	-	
104130	वेंडरों को अग्रिम पी.एफ.सी. के साथ भूमि की सुरक्षित	1,64,540	4	21,479	1,43,064	1,43,060
104140	अभिरक्षा	5,54,863	-	-	5,54,863	
104152	अग्रदाय अग्रिम - प्रतिपूर्तियोग्य	-	370	370	-	
104154	अस्थायी अग्रिम	-	250	250	-	

104413	आई.जी.एस.टी. अंतरिम वसूली खाता	-	22	22	-
104421	एस.जी.एस.टी. वसूली खाता	-	2	2	-
104433	आई.जी.एस.टी. वसूली खाता- (आर.सी.एम.)	-	0	0	-
104503	प्रतिभूति जमा - अन्य	2,10,150	-	-	2,10,150
106206	एस.बी.आई.-30076353670	18,76,603	1,30,040	20,06,429	215
107233	पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	6,51,464	-	-	6,51,464
201151	लाभ एवं हानि	12,531	-	-	12,531
201201	इक्विटी शेयर पूंजी	(5,000)	-	-	(5,000)
202201	प्रतिबद्धता अग्रिम	(40,00,000)	-	-	(40,00,000)
202202	खरीदारों से प्राप्त राशि	(957,86,600)	-	-	(957,86,600)
204102	व्यापार प्रदेय - परामर्शदाता/कोरिडोर	-	52,699	52,699	-
204105	व्यापार प्रदेय-अन्य	(1,50,315)	158,01,348	157,35,269	(84,236)



204152	पी.एफ.सी. को प्रदेय	(40,89,887)	83,53,184	113,90,469	(71,27,172)	6572,30,801
204153	पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय	-	40,316	40,316	-	
205121	लागू न की गई प्राप्तियां	-	16,522	16,522	-	
205153	प्रतिभूति जमा - वेंडर	(93,889)	-	8,073	(1,01,961)	
205154	प्रत्यक्ष जमा (नामांकन)	-	8,000	8,000	-	
205341	एस.जी.एस.टी. खाता देयता - (आर.सी.एम.)	-	1	1	-	
205342	सी.जी.एस.टी. खाता देयता - (आर.सी.एम.)	-	1	1	-	
205343	आई.जी.एस.टी. खाता देयता - (आर.सी.एम.)	-	1	1	-	
205406	धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./कंपनी	(15,963)	2,05,006	2,04,419	(15,375)	
205407	धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	-	16,761	16,839	(78)	
205410	धारा 194 ए के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	(47,055)	94,110	93,655	(46,600)	
205420	टी.डी.एस.जमा - एस.पी.वी.	-	17	17	-	

206102	पी.एफ.सी. को प्रदेय ब्याज	(22,43,907)	-	8,12,003	(30,55,910)	
206103	खरीदारों को प्रदेय ब्याज	(37,79,210)	-	4,19,400	(41,98,610)	4105,56,450
305301	विविध आय	-	7,160	7,160	-	
400101	परामर्श संबंधी व्यय	-	6,64,435	10,749	6,53,687	
400102	विज्ञापन व्यय - एसाईनमेंट	-	3,380	-	3,380	
400201	वेतन और भत्ते स्टॉफ	-	545	545	-	
400305	कैंटीन व्यय	-	5,927	851	5,076	
400306	लीज किराया	-	868	-	868	
400331	कर्मचारियों के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियां (कर्मचारी लागत)	-	159	-	159	
401101	मूल्यहास - कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	-	9	-	9	

वेंडरों को अग्रिम

	आरम्भिक	अतिरिक्त	संदत्त	अंतिम
--	---------	----------	--------	-------

	अधिशेष			अधिशेष
आयकर विभाग		4		4
व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (नबकृष्णा)	45,472			45,472
व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एम.ई.सी.एल.) - डिप साईड	54,051		11,381	42,670
व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एम.ई.सी.एल.) - मीनाक्षी कोल	65,017		10,098	54,919
	1,64,540	4	21,479	1,43,064

पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

ट्रायल  
अधिशेष-  
कुल मुद्रा रिपोर्ट तारीख: 43,232  
अवधि: 1 of  
Adj5-1 43,282 पृष्ठ: 3

मुद्रा: आई.ए.आर.  
अधिशेष का प्रकार: वर्ष से तारीख  
कंपनीरेंज: 2004 to 2004

बहीखाता: पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता  
कंपनी: 2004 उड़ीस

इंडीग्रेटेड पावर लिमिटेड

खाता	विवरण	आरम्भिक अधिशेष	डेबिट	क्रेडिट	अंतिम अधिशेष
-----	-----	-----	-----	-----	-----
101101	कंप्यूटर एवं ईडीपी उपकरण	6,56,066	11,201	-	6,67,267
101102	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	6,14,724	33,688	-	6,48,412
101103	<b>कार्यालय उपकरण</b>	2,07,153	9,866	-	2,17,019
101201	संचित मूल्यहास - कंप्यूटर	#####	-	858	#####
101202	संचित मूल्यहास - फर्नीचर	#####	-	81,420	#####
101203	संचित मूल्यहास - कार्यालय	#####	-	14,496	#####
101401	भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी व्यय	#####	#####	#####	#####
101402	भूमि के लिए पूंजी अग्रिम प्रगति पर पूंजीगत कार्य	#####	-	-	#####
101403	(सी.डब्ल्यू.आई.पी.)	#####	1,21,345	1,21,345	#####
102301	भूमि के लिए जमा	#####	#####	#####	#####

104111	पी.एफ.सी. से वसूली योग्य	-	#####	#####	-
104130	वेंडरों को अग्रिम	#####	358	#####	#####
104140	पी.एफ.सी. के साथ भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा	#####	-	-	#####
104152	अग्रदाय अग्रिम - प्रतिपूर्तियोग्य	-	36,963	36,963	-
104154	अस्थायी अग्रिम	-	25,000	25,000	-
104413	आई.जी.एस.टी. अंतरिम वसूली खाता	-	2,246	2,246	-
104421	एस.जी.एस.टी. वसूली खाता	-	232	232	-
104433	आई.जी.एस.टी. वसूली खाता- (आर.सी.एम.)	-	29	29	-
104503	प्रतिभूति जमा - अन्य एस.बी.आई.-	#####	-	-	#####
106206	30076353670	#####	#####	#####	21,471
107233	पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	#####	-	-	#####
201151	लाभ एवं हानि	#####	-	-	#####

201201	इक्विटी शेयर पूंजी	#####	-	-	#####
202201	प्रतिबद्धता अग्रिम	#####	-	-	#####
202202	खरीदारों से प्राप्त राशि व्यापार प्रदेय -	#####	-	-	#####
204102	परामर्शदाता/कोरिडोर	-	#####	#####	-
204105	व्यापार प्रदेय-अन्य	#####	#####	#####	#####
204152	पी.एफ.सी. को प्रदेय	#####	#####	#####	#####
204153	पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय	-	#####	#####	-
205121	लागू न की गई प्राप्तियां	-	#####	#####	-
205153	प्रतिभूति जमा - वेंडर	#####	-	8,07,255	#####
205154	प्रत्यक्ष जमा (नामांकन) एस.जी.एस.टी. खाता देयता -	-	8,00,000	8,00,000	-
205341	(आर.सी.एम.) सी.जी.एस.टी. खाता देयता -	-	73	73	-
205342	(आर.सी.एम.) आई.जी.एस.टी. खाता देयता	-	73	73	-
205343	- (आर.सी.एम.)	-	120	120	-

205406	धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./कंपनी	#####	#####	#####	#####
205407	धारा 194 जे के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	-	#####	#####	(7,813)
205410	धारा 194 ए के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी	#####	#####	#####	#####
205420	टी.डी.एस.जमा - एस.पी.वी.	-	1,731	1,731	-
206102	पी.एफ.सी. को प्रदेय ब्याज	#####	-	#####	#####
206103	खरीदारों को प्रदेय ब्याज	#####	-	41,940,000.00	#####
305301	विविध आय	-	7,15,969	7,15,969	-
400101	परामर्श संबंधी व्यय	-	#####	#####	#####
400102	विज्ञापन व्यय - एसाईनमेंट	-	3,37,988	-	3,37,988
400201	वेतन और भत्ते स्टॉफ	-	54,471	54,471	-
400305	कैंटीन व्यय	-	5,92,722	85,146	5,07,576
400306	लीज किराया	-	86,789	-	86,789
400331	कर्मचारियों के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियां (कर्मचारी लागत)	-	15,901	-	15,901
401101	मूल्यहास - कंप्यूटर एवं	-	858	-	858

## ईडीपी उपकरण

पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

ट्रायल अधिशेष- कुल

मुद्रा

रिपोर्ट तारीख:

अवधि: Adj5-1

43,282

पृष्ठ: 2 of 3

मुद्रा: आई.ए.आर.

अधिशेष का प्रकार: वर्ष से तारीख

कंपनीरेंज: 2004 to 2004

बहीखाता: पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

कंपनी: 2004 उड़ीस इंडीग्रेटेड पावर

लिमिटेड

खाता	विवरण	आरम्भिक अधिशेष	डेबिट	क्रेडिट	अंतिम अधिशेष
-----	-----	-----	-----	-----	-----
401102	मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स	-	814	-	814
401103	मूल्यहास - कार्यालय उपकरण	-	145	-	145



402151	लेखापरीक्षा शुल्क	-	966	44	922
402201	जनशक्ति संबंधी प्रभार	-	10,39,374	1,03,116	9,36,259
402401	उपयोग किए गए भाग पर ब्याज व्यय	-	12,78,003	-	12,78,003
404101	टेलीफोन संबंधी व्यय (परामर्शदाता)	-	417	28	389
404103	टेलीफोन संबंधी व्यय (कार्यालय)	-	2,363	89	2,273
404111	स्थानीय वाहन-व्यय प्रतिपूर्ति	-	2	-	2
404112	टूर एवं ट्रैवलिंग व्यय - कर्मचारी (भोजन	-	5,490	874	4,616
404113	टूर एवं ट्रैवलिंग व्यय - कर्मचारी (अन्य)	-	7,712	418	7,294
404114	टूर एवं ट्रैवलिंग व्यय - कर्मचारी - (रेलवे)	-	8,350	1,288	7,062
404115	ट्रैवलिंग व्यय परामर्शदाता(हवाई)	-	6,900	728	6,172
404116	ट्रैवलिंग व्यय परामर्शदाता (आवास)	-	4,931	497	4,434
404117	ट्रैवलिंग व्यय परामर्शदाता-अन्य	-	3,967	796	3,170

404152	विज्ञापन व्यय- अप्रत्यक्ष	-	2,166	-	2,166
404153	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	-	142	33	109
404155	विद्युत एवं जल प्रभार	-	2,006	263	1,744
404156	फोटोग्राफी व्यय	-	13	-	13
404157	मानदेय	-	115	46	69
404159	अनुवाद व्यय	-	48	-	48
404251	लीज किराया - वाहन	-	478	137	341
404252	विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	-	2,07,237	2,04,141	3,096
404253	वाहन के लिए जनशक्ति	-	676	119	557
404254	बैठक व्यय	-	4,621	972	3,650
404301	विविध व्यय	-	18,17,453	18,17,453	-
404321	कार्यालय रखरखाव	-	12,218	1,284	10,934

404322	कार्यालय भाड़ा	-	19,445	2,265	17,180
404324	शासकीय आतिथ्य सत्कार	-	1,133	-	1,133
404352	पोस्टेज एवं कुरियर	-	533	18	515
404353	मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	3,299	38	3,261
404354	आउटसोर्सिंग व्यय	-	2,20,159	31,086	1,89,074
404356	फर्नीचर किराया	-	119	56	64
404362	पूर्वावधि व्यय	-	8,869	2,318	6,550
404363	व्यावसायिक प्रभार	-	2,97,197	1,09,049	1,88,148
404401	मरम्मत एवं रखरखाव	-	405	-	405
404501	प्रतिभूति व्यय	-	5,368	47	5,320
404604	डेबिट नोट पर कर	-	1,60,326	1,60,326	-
404605	आयकर	-	35	17	17
404611	एस.जी.एस.टी. व्यय खाता	-			

		-	6	6	-
404612	सी.जी.एस.टी. व्यय खाता	-	8	8	-
404631	एस.जी.एस.टी. व्यय खाता - (आर.सी.एम.)	-	2	2	-
404632	सी.जी.एस.टी. व्यय खाता - (आर.सी.एम.)	-	2	2	-
404633	आई.जी.एस.टी. व्यय खाता - (आर.सी.एम.)	-	2	2	-
404671	प्रशिक्षण व्यय	-	47	-	47
404701	वाहन किराया एवं संचालन व्यय	-	1,68,273	1,46,003	22,269
406103	बैंक प्रभार	-	7	0	7
910002	निकासीखाता	-	12,347	12,347	-
920001	अंतर-कंपनी प्रदेय	-	-	548	(548)
920406	टी.डी.एस.निकासी - धारा 194 जे के तहत/ Comp	-	21,451	21,451	-

पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

ट्रायल अधिशेष- कुल

मुद्रा

रिपोर्ट तारीख:

अवधि: Adj5-1

43,282

पृष्ठ:

3 of 3

मुद्रा: आई.ए.आर.

अधिशेष का प्रकार: वर्ष से तारीख

कंपनीरेंज: 2004 to 2004

बहीखाता: पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

कंपनी: 2004 उड़ीस इंडीग्रेटेड पावर

लिमिटेड

खाता	विवरण	आरम्भिक अधिशेष	डेबिट	क्रेडिट	अंतिम अधिशेष
-----	-----	-----	-----	-----	-----
920407	टी.डी.एस.निकासी - धारा 194 जे के तहत/ गैर कंपनी	-	33,283	33,283	-
940001	सस्पेंस नियंत्रण	-	732	732	(0)
		-----	-----	-----	-----

- 376,64,298 376,64,298 -

अन्यप्रशासनिक व्यय

कैंटीन व्यय	5,076
कर्मचारियों के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियां (कर्मचारी लागत)	159
पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	109
फोटोग्राफी व्यय	13
मानदेय	69
अनुवाद व्यय	48
कार्यालय रखरखाव	10,934
शासकीय आतिथ्य सत्कार	1,133
प्रतिभूति व्यय	5,320
प्रशिक्षण व्यय	47
बैंक प्रभार	7

**22,915**

गैर- सी.डब्ल्यू.आई.पी.

सी.डब्ल्यू.आई.पी. कुल

30,85,024

2,86,408

33,71,433

पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता  
ट्रायल  
अधिशेष- कुल मुद्रा रिपोर्ट  
अवधि: 43,232 तारीख:  
Adj5-1 43,282 पृष्ठ: 3  
2 of

मुद्रा: आई.ए.आर.

अधिशेष का प्रकार: वर्ष से तारीख

कंपनीरिज: 2004 to 2004

बहीखाता: पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

कंपनी: 2004 उड़ीस

इंडीग्रेटेड पावर लिमिटेड

खाता	विवरण	आरम्भिक अधिशेष	डेबिट	क्रेडिट	अंतिम अधिशेष
401102	मूल्यहास - फर्नीचर एवं फिटिंग्स	-	81,420	-	81,420
401103	मूल्यहास - कार्यालय	-	14,496	-	14,496

## उपकरण

402151	लेखापरीक्षा शुल्क	-	96,563	4,375	92,188
402201	जनशक्ति संबंधी प्रभार उपयोग किए गए भाग पर	-	#####	#####	#####
402401	ब्याज व्यय टेलीफोन संबंधी व्यय	-	#####	-	#####
404101	(परामर्शदाता) टेलीफोन संबंधी व्यय	-	41,674	2,772	38,902
404103	(कार्यालय)	-	2,36,266	8,945	2,27,321
404111	स्थानीय वाहन-व्यय प्रतिपूर्ति टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय -	-	199	-	199
404112	कर्मचारी (भोजन टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय -	-	5,49,001	87,396	4,61,605
404113	कर्मचारी (अन्य) टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय -	-	7,71,161	41,790	7,29,371
404114	कर्मचारी - (रेलवे) ट्रेवलिंग व्यय	-	8,35,005	1,28,781	7,06,224
404115	परामर्शदाता(हवाई) ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता	-	6,89,997	72,761	6,17,236
404116	(आवास) ट्रेवलिंग व्यय परामर्शदाता-	-	4,93,092	49,656	4,43,436
404117	अन्य	-	3,96,652	79,611	3,17,041
404152	विज्ञापन व्यय- अप्रत्यक्ष	-	2,16,606	-	2,16,606
404153	पुस्तकें एवं आवधिक	-	14,221	3,300	10,921



	पत्रिकाएं				
404155	विद्युत एवं जल प्रभार	-	2,00,606	26,253	1,74,353
404156	फोटोग्राफी व्यय	-	1,262	-	1,262
404157	मानदेय	-	11,514	4,569	6,945
404159	अनुवाद व्यय	-	4,776	-	4,776
404251	लीज किराया - वाहन	-	47,807	13,715	34,092
404252	विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	-	#####	#####	3,09,592
404253	वाहन के लिए जनशक्ति	-	67,609	11,946	55,663
404254	बैठक व्यय	-	4,62,141	97,179	3,64,962
404301	विविध व्यय	-	#####	#####	-
404321	कार्यालय रखरखाव	-	#####	1,28,397	#####
404322	कार्यालय भाड़ा	-	#####	2,26,491	#####
404324	शासकीय आतिथ्य सत्कार	-	1,13,304	-	1,13,304
404352	पोस्टेज एवं कुरियर	-	53,328	1,801	51,527
404353	मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	3,29,884	3,806	3,26,078
404354	आउटसोर्सिंग व्यय	-	#####	#####	#####
404356	फर्नीचर किराया	-	11,932	5,576	6,356
404362	पूर्वावधि व्यय	-	8,86,859	2,31,819	6,55,040
404363	व्यावसायिक प्रभार	-	#####	#####	#####

404401	मरम्मत एवं रखरखाव	-	40,548	-	40,548
404501	प्रतिभूति व्यय	-	5,36,762	4,740	5,32,022
404604	डेबिट नोट पर कर	-	#####	#####	-
404605	आयकर	-	3,462	1,731	1,731
404611	एस.जी.एस.टी. व्यय खाता	-	567	567	-
404612	सी.जी.एस.टी. व्यय खाता	-	799	799	-
404631	एस.जी.एस.टी. व्यय खाता - (आर.सी.एम.)	-	168	0 167.50	-
404632	सी.जी.एस.टी. व्यय खाता - (आर.सी.एम.)	-	168	168	-
404633	आई.जी.एस.टी. व्यय खाता - (आर.सी.एम.)	-	240	240	-
404671	प्रशिक्षण व्यय वाहन किराया एवं संचालन	-	4,688	-	4,688
404701	व्यय	-	#####	#####	#####
406103	बैंक प्रभार	-	708	30	679
910002	निकासीखाता	-	#####	#####	-

920001	अंतर-कंपनी प्रदेय टी.डी.एस.निकासी - धारा	-	-	54,755	(54,755)
920406	194 जे के तहत/ कंपनी	-	#####	#####	-

पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता	ट्रायल अधिशेष- कुल अवधि: Adj5-1	मुद्रा	रिपोर्ट तारीख: पृष्ठ:	43,232 3 of 3
------------------------	--	--------	-----------------------------	---------------------

मुद्रा: आई.ए.आर.

अधिशेष का प्रकार: वर्ष से तारीख

कंपनीरेंज: 2004 to 2004

बहीखाता: पी.एफ.सी.सी.एल.बहीखाता

कंपनी: 2004 उड़ीस

इंडीग्रेटेड पावर लिमिटेड

खाता	विवरण	आरम्भिक अधिशेष	डेबिट	क्रेडिट	अंतिम अधिशेष
------	-------	-------------------	-------	---------	--------------

920407	टी.डी.एस.निकासी - धारा 194 जे के तहत/ गैर-कंपनी	-	#####	#####	-
940001	सस्पेंस नियंत्रण	-	73,167	73,167	(0)
		-	#####	#####	-

विवरण	राशि	Head	Head
शेयर पूंजी	(5,000)	शेयर पूंजी	शेयर पूंजी
मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल)	(1,49,494)	देय व्यय	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ए.वी.वी.एन.एल.)	(1,44,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
सी.एल.ई.बी.	(2,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	(2,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
जी.आर.आई.डी.सी.ओ.	(13,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	(1,44,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	(1,12,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
एम.पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	(4,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं

पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	(5,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	(3,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	(2,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
यू.पी.पी.सी.एल.	(3,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
उत्तरांचल पावर सी.एल.	(2,00,000)	प्रतिबद्धता अग्रिम (नोट 14 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
अजमेर वी.वी.एन.एल. को प्रदेय ब्याज	(1,37,968)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
सी.एस.पी.डी.सी.एल. को प्रदेय ब्याज	(1,93,216)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
डी.एच.बी.वी.एन.एल. को प्रदेय ब्याज	(1,94,566)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
जी.आर.आई.डी.सी.ओ. को प्रदेय ब्याज	(11,91,079)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
जयपुर वी.वी.एन.एल. को प्रदेय ब्याज	(1,40,513)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
जोधपुर वी.वी.एन.एल. को प्रदेय ब्याज	(1,08,303)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं

एम.पी.पी.एम.सी.एल. को प्रदेय ब्याज	(3,67,101)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
पी.एफ.सी. को प्रदेय ब्याज	(22,43,907)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
पी.एस.पी.सी.एल. को प्रदेय ब्याज	(4,85,497)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
टी.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. को प्रदेय ब्याज	(2,83,121)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
यू.एच.बी.वी.एन.एल. को प्रदेय ब्याज	(1,94,566)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
यू.पी.सी.एल. को प्रदेय ब्याज	(1,94,413)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
यू.पी.पी.सी.एल. को प्रदेय ब्याज	(2,88,867)	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
भूमि के लिए सी.एस.ई.बी.	(35,93,293)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
भूमि के लिए सी.एस.पी.डी.सी.एल.	(16,02,590)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
डी.एच.बी.वी.एन. (एच.पी.पी.सी.)	(51,95,883)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं

भूमि के लिए जी.आर.ई.डी.सी.ओ.	(337,73,240)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	(88,91,766)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
भूमि के लिए पी.एस.ई.बी.	(108,00,686)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
पी.एस.पी.सी.एल.	(21,89,021)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
आर.आर.वी.पी.एन.एल.	(86,40,962)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
भूमि के लिए आर.वी.पी.एन.एल.	(2,51,217)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
भूमि के लिए टी.एन.जी.ई.डी.सी.ओ.	(53,89,940)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
यू.एच.बी.वी.एन. (एच.पी.पी.सी.)	(51,95,883)	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं



यू.जे.वी.एन.लिमिटेड	(35,93,293 )	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
भूमि के लिए यू.पी.पी.सी.एल.	(66,68,825 )	भूमि के लिए खरीदारों से प्राप्त राशि (नोट 19 का संदर्भ लें)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
लेखापरीक्षा शुल्क पर टी.डी.एस.	(78)	सांविधिक देय (टी.डी.एस.)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
धारा 194 ए के तहत टी.डी.एस.	(47,055)	सांविधिक देय (टी.डी.एस.)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
धारा 195 जे के तहत टी.डी.एस. / कंपनी	(15,885)	सांविधिक देय (टी.डी.एस.)	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
के.एल.सी. एंड कंपनी	(820)	देय व्यय	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
प्रतिधारण-एम.ई.सी.एल.(5%) मीनाक्षी बी.एम.सी. ब्लॉक	(42,397)	देय व्यय	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
प्रतिधारण-एम.ई.सी.एल.(5%) (मीनाक्षी कोल ब्लॉक की डिप साईड)	(51,492)	देय व्यय	नोट सं. 6 - अन्य चालू देयताएं
पी.एफ.सी. को प्रदेय (आधिक्य उपयोग) खाता	(40,89,887 )	संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम	नोट सं. 5 - अल्प-कालिक ऋण

भूमि अधिग्रहण (व्यय)	88,64,252	भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी व्यय (नोट-20)	नोट सं. 8 - प्रगति पर पूंजीगत कार्य
प्रशासनिक व्यय - भूमि	16,63,499	भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी व्यय (नोट-20)	नोट सं. 8 - प्रगति पर पूंजीगत कार्य
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	153,37,078	सी.डब्ल्यू.आई.पी.	सी.डब्ल्यू.आई.पी.
अन्य प्राप्ति योग्य	-	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां
ईडीपी उपकरण पर मूल्यहास	(6,228)	संचित मूल्यहास ई.डी.पी.	अचल परिसम्पत्ति
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स पर मूल्यहास	(3,376)	संचित मूल्यहास फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	अचल परिसम्पत्ति
कार्यालय और अन्य उपकरण पर मूल्यहास	(1,837)	संचित मूल्यहास फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	अचल परिसम्पत्ति
कंप्यूटर एवं एसेसरीज	6,561	सकल ब्लॉक ईडीपी उपकरण	अचल परिसम्पत्ति
कार्यालय उपकरण एवं अन्य	2,072	सकल ब्लॉक कार्यालय एवं अन्य उपकरण	अचल परिसम्पत्ति
कार्यालय फर्नीचर	6,147	सकल ब्लॉक फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	अचल परिसम्पत्ति

प्रतिभूति जमा (जल संसाधन विभाग)	2,10,000	जल संसाधन विभाग	नोट सं. 9 – दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम
आई.डी.सी.ओ. को अग्रिम(भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा)	6,59,400	आई.डी.सी.ओ. को अग्रिम (भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा)	नोट सं. 9 – दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम
भूमि के लिए जमा	769,99,892	पूंजी अग्रिम (भूमि के लिए जमा)	नोट सं. 9 – दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम
एस.बी.आई. चंद्रलोक (30076353670)	18,76,603	चालू खाते में	नोट सं. 10 - नकदी एवं नकदी समतुल्य
पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	6,51,464	प्रोदभूत ब्याज किंतु जो संबंधित पक्ष से देय नहीं है।	नोट सं. 12 - अन्य चालू परिसम्पत्तियां
पी.एफ.सी. के साथ भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा	5,54,863	संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम	नोट सं. 11 - अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम
व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (नबकृष्णा)	45,472	व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (नबकृष्णा)	नोट सं. 11 - अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम
व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एम.ई.सी.एल.) - डिप साईड	54,051	व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एम.ई.सी.एल.) - डिप साईड	नोट सं. 11 - अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम
व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एम.ई.सी.एल.) - मीनाक्षी कोल	65,017	व्यावसायिक प्रभारों के लिए अग्रिम (एम.ई.सी.एल.) - मीनाक्षी कोल	नोट सं. 11 - अल्पकालिक

			ऋण एवं अग्रिम
प्रतिभूति जमा - रास्ता छोड़ने के प्रभार (एस.ई.सी.आर.)	150	रास्ता छोड़ने के प्रभार (एस.ई.सी.आर.)	नोट सं. 9 - दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम
आयकर रिफंड पर ब्याज	(12,882)	अन्य आय	अन्य आय
प्रशासनिक व्यय- विज्ञापन	3,473	विज्ञापन व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	92	अन्य प्रशासनिक व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - कैंटीन व्यय	3,512	अन्य प्रशासनिक व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - कंप्यूटर रखरखाव	10	मरम्मत एवं रखरखाव	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - कांफ्रेंस एवं बैठक	6,902	कांफ्रेंस एवं बैठक	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - परामर्श प्रभार	3,27,344	परामर्श प्रभार एवं व्यावसायिक शुल्क	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - विद्युत (भुवनेश्वर)	437	विद्युत व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - विद्युत (सुंदरगढ़)	1,678	विद्युत व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - विद्युत एवं जल	995	विद्युत व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय

प्रशासनिक व्यय - हाउसकीपिंग	518	अन्य प्रशासनिक व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	4,046	विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - स्थानीय कंवेयेंस	31	टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - वाहन के लिए जनशक्ति	323	वाहन किराया प्रभार	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - कार्यालय रखरखाव	5,577	अन्य प्रशासनिक व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - कार्यालय भाड़ा	19,652	किराया	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - शासकीय आतिथ्य सत्कार	1,293	अन्य प्रशासनिक व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - पोस्टेज एवं कुरियर	637	पोस्टेज एवं कुरियर	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	6,159	मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - प्रोसेसिंग शुल्क	1,74,952	अन्य प्रशासनिक व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - व्यावसायिक प्रभार	6,27,066	परामर्श प्रभार एवं व्यावसायिक शुल्क	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - किराया		किराया	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय

	1,948		व्यय
प्रशासनिक व्यय - मरम्मत एवं रखरखाव	241	मरम्मत एवं रखरखाव	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - प्रतिभूति प्रभार	9,375	अन्य प्रशासनिक व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - टेलीफोन	1,158	टेलीफोन संबंधी व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - टेलीफोन परामर्शदाता	1,994	टेलीफोन संबंधी व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - टूर एवं ट्रेवल्स	66,329	टूर एवं ट्रेवलिंग व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - वाहन किराया प्रभार	27,447	वाहन किराया प्रभार	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - वाहन लीज किराया	406	वाहन किराया प्रभार	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - वाहन संचालन व्यय	70	वाहन किराया प्रभार	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
प्रशासनिक व्यय - अस्थायी स्टाँफ की मजदूरी	94,632	आउटसोर्सिंग व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
बैंक प्रभार	1	अन्य प्रशासनिक व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
जनशक्ति संबंधी प्रभार		जनशक्ति संबंधी प्रभार	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय

	9,23,923		व्यय
आउट ऑफ पाकेट व्यय	230	आउट ऑफ पाकेट व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
सर्वेक्षण एवं अध्ययन	12,420	परामर्श प्रभार एवं व्यावसायिक शुल्क	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
लेखापरीक्षा शुल्क	898	लेखापरीक्षा शुल्क	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
मूल्यहास	1,257	मूल्यहास	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
आधिक्य प्रावधान प्रतिलेखन	(12,277)	घटाएं: आधिक्य प्रावधान प्रतिलेखन	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
ब्याज व्यय	8,99,446	ब्याज व्यय	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
अग्रिम कर पर ब्याज	18	आय कर पर ब्याज	नोट सं. 13 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय
आय कर व्यय	3,830	चालू कर	चालू कर
आरक्षित एवं आधिक्य	21,583	आरक्षित एवं आधिक्य	आरक्षित एवं आधिक्य
कुल योग	-		

इंड ए.एस. समायोजन		मौजूदा जी.ए.पी.		समायोजित
आवर्ती मर्दे	संक्रमण मर्दे	इंड ए.एस. समायोजन	अन्य समायोजन	राशि

क्र. सं.	मात्रा	प्रति यूनिट दर	वर्ष एवं तारीख/कार्यकरण की तारीख	वर्गीकरण (लेखा शीर्ष)	निवेश मूल्य	कुल लागत	अवशेष मूल्य	मूल्य हास हुआ कुल मूल्य	परिसम्पत्ति की शेष उपयोग अवधि (वर्षों)	मूल्य हास दर	01.04.2017 की स्थिति के अनुसार आम्भिक	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मूल्य	01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अंतिम ड	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल्य	31.03.1901.04.2018 की स्थिति के अनुसार अंतिम डब्ल्यू.डी.वी
----------	--------	----------------	----------------------------------	-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------------------	--	--------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	--



										में)		ड बल्यू .डी. वी.	हा स	बल्यू .डी. वी.	ल्य हा स	.
1	मेज	4	51,33 6	1- अप्रैल- 2010	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	2,0 5,3 43	2,0 5,3 43	10, 26 7	1,95 ,076	6.00	29. 18 %	28,8 91	8,43 1	20,46 0	5,9 71	14,489
2	कुर्सी	2	12,30 9	10- मार्च- 2014	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	24, 618	24, 618	1,2 31	23,3 87	9.95	25. 98 %	9,96 4	2,58 9	7,375	1,9 16	5,459
3	अलमारी	4	20,79 6	21- अक्टू बर- 2014	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	83, 182	83, 182	4,1 59	79,0 23	10.5 6	25. 89 %	40,4 36	10,4 69	29,96 7	7,7 59	22,209
4	वूडेन एक्जिक्यूटिव मेज	2	56,67 8	7-12- 2015	कार्यालय फर्नीचर	1,1 3,3 55	1,1 3,3 55	5,6 68	1,07 ,687	9.68	25. 89 %	77,1 14	19,9 65	57,14 9	14, 796	42,353
5	एक्जिक्यूटिव	2	23,18	7-12- 2015	कार्यालय फर्नीचर	46,	46,	2,3	44,0	9.68	25. 89	31,5	8,16	23,37	6,0	17,326

	रिवॉल्विंग कुर्सी		6			373	373	19	54		%	47	7	9	53	
6	वूडेन एक्सक्लूसिव क्यूसंड विजिटर कुर्सी	8	5,434	7-12- 2015	कार्यालय फर्नीचर	43, 474	43, 474	2,1 74	41,3 01	9.68	25. 89 %	29,5 75	7,65 7	21,91 8	5,6 75	16,243
7	सोफा सेट (पूर्णतः सुसज्जित)	7	11,04 1	7-12- 2015	कार्यालय फर्नीचर	77, 288	77, 288	3,8 64	73,4 23	9.68	25. 89 %	52,5 78	13,6 12	38,96 5	10, 088	28,877
8	वूडेन साईड मेज	2	5,153	7-12- 2015	कार्यालय फर्नीचर	10, 305	10, 305	51 5	9,79 0	9.68	25. 89 %	7,01 0	1,81 5	5,195	1,3 45	3,850
9	एक्जिक्यूटिव कुर्सी	2	1,895	1-04- 2017	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	3,7 91	3,7 91	19 0	3,60 1	9.00	25. 87 %	3,79 1	981	2,810	727	2,083
10	एक्जिक्यूटिव मेज	2	2,488	1-04- 2017	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	4,9 77	4,9 77	24 9	4,72 8	9.00	25. 87 %	4,97 7	1,28 7	3,689	954	2,735
11	कार्यालय अलमारी	1	4,203	1-04- 2017	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	4,2 03	4,2 03	21 0	3,99 3	9.00	25. 87 %	4,20 3	1,08 7	3,116	806	2,310
12	एक्जिक्यूटिव	2		1-04-	फर्नीचर एवं						25.					



	कम्प्यूटर																
1	कंप्यूटर प्रिंटर एवं यू.पी.एस.	2	48,50 0	1- अप्रैल -2010	ई.डी.बी. उपकरण एवं कम्प्यूटर	97, 000	97, 000	4,8 50	92,1 50			4,85 0	-	4,850	-	4,850	
2	डेस्कटॉप	1	1,74, 600	18- नवंबर -2011	ई.डी.बी. उपकरण एवं कम्प्यूटर	1,7 4,6 00	1,7 4,6 00	8,7 30	1,65 ,870			94. 31 %	8,73 0		8,730	-	8,730
3	लेजरजेट प्रिंटर	1	15,20 0	18- नवंबर -2011	ई.डी.बी. उपकरण एवं कम्प्यूटर	15, 200	15, 200	76 0	14,4 40			94. 24 %	760	-	760	-	760
4	लेजरजेट प्रिंटर	1	58,00 0	18- नवंबर -2011	ई.डी.बी. उपकरण एवं कम्प्यूटर	58, 000	58, 000	2,9 00	55,1 00			94. 24 %	2,90 0		2,900	-	2,900
5	प्रिंटर	1	1,59, 345	30- नवंबर -2011	ई.डी.बी. उपकरण एवं कम्प्यूटर	1,5 9,3 45	1,5 9,3 45	7,9 67	1,51 ,378			93. 52 %	7,96 7		7,967	-	7,967

6	कंप्यूटर एवं प्रिंटर	1	70,450	6- दिसम्बर- 2013	ई.डी.बी. उपकरण एवं कम्प्यूटर	70,450	70,450	3,523	66,928	3	65.49%	4,038	515	3,523	-	3,523
7	एच.पी. डेस्कटॉप कंप्यूटर	1	52,247	6- मार्च- 2014	ई.डी.बी. उपकरण एवं कम्प्यूटर	52,247	52,247	2,612	49,635	3	63.62%	2,737	124	2,612	-	2,612
8	लेजरजेट प्रिंटर	1	21,124	15- मई- 2014	ई.डी.बी. उपकरण एवं कम्प्यूटर	21,124	21,124	1,056	20,068	3	63.16%	1,274	218	1,056	-	1,056
	डेस्कटॉप	2	2,494	1- अप्रैल -2017	ईडीपी उपकरण	4,988	4,988	249	4,739	2	63.09%	4,988	-	4,988	3,147	1,841
	प्रिंटर	1	1,150	1- अप्रैल -2017	ईडीपी उपकरण	1,150	1,150	583	1,093	2	63.09%	1,150	-	1,150	726	424
	प्रिंटर	1	2,250	1- अप्रैल -2017	ईडीपी उपकरण	2,250	2,250	113	2,138	2	63.09%	2,250	-	2,250	1,420	830

	लैपटॉप			1- अप्रैल -2017	ईडीपी उपकरण	2,8 13	2,8 13	14 1	2,67 2		63. 09 %	2,81 3	-	2,813	1,7 75	1,038
												44,4 57	858	43,59 9	7,0 67	36,532
	<b>इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण</b>															
1	एयर कंडीशनर	1	64,00 0	1- अप्रैल -2010	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	64, 000	64, 000	3,2 00	60,8 00	1	89. 98 %	3,20 0	-	3,200	-	3,200
2	स्टैबलाइजर	1	7,377	30- नवंबर -2011	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	7,3 77	7,3 77	36 9	7,00 8	3	62. 93 %	416	47	369	-	369

3	इंवर्टर 1000 वी.ए. & 150 ए.एच. ट्यूबलर बैटरी	2	10,67 4	8- अग स्त- 2013	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	21, 348	21, 348	1,0 67	20,2 81	4	48. 61 %	2,63 7	1,28 2	1,355	288	1,067
4	इंवर्टर 875 वी.ए. & 150 ए.एच. ट्यूबलर बैटरी	2	10,11 3	8- अग स्त- 2013	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	20, 225	20, 225	1,0 11	19,2 14	4	48. 61 %	2,49 9	1,21 4	1,284	273	1,011
5	वाटर डिस्पेंसर	1	9,775	8- अग स्त- 2013	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	9,7 75	9,7 75	48 9	9,28 6	4	48. 61 %	1,20 8	587	621	132	489
6	रेफ्रिजेरेटर 170 लीटर	1	11,79 8	अग स्त	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	11, 798	11, 798	59 0	11,2 08	4	48. 61 %	1,45 8	708	749	159	590

7	सुकाम 12 वोल्ट ट्यूबलर बैटरी	2	21,34 9	10- मार्च- 2014	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	42, 697	42, 697	2,1 35	40,5 62	5	45. 34 %	6,91 3	3,13 5	3,779	1,6 44	2,135
8	केंट आर.ओ. वाटर प्यूरीफायर	2	9,826	10- मार्च- 2014	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	19, 652	19, 652	98 3	18,6 69	5	45. 34 %	3,18 2	1,44 3	1,739	757	983
9	कूलर	1	8,652	20- Aug- 2014	इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उपकरण	8,6 52	8,6 52	43 3	8,21 9	5	45. 07 %	1,89 2	853	1,039	468	571
10	एल.जी. रेफ्रिजेरेटर	1	725	1- अप्रैल -2017	कार्यालय उपकरण	725	725	36	689	4	45. 11 %	725	366	359	162	197
11	हिटाची एयर कंडीशनर	2	1,850	1- अप्रैल	कार्यालय उपकरण	3,7 00	3,7 00	18 5	3,51 5	4	45. 04 %	3,70 0	1,86 8	1,832	825	1,007



				-2017												
12	वोल्टास वाटर डिस्पेंसर	1	460	1- अप्रैल -2017	कार्यालय उपकरण	460	460	23	437	4	45. 04 %	460	232	228	103	125
13	ए.सी.	2	1,898	1- अप्रैल -2017	कार्यालय उपकरण	3,7 96	3,7 96	19 0	3,60 6	4	45. 02 %	3,79 6	2,10 9	1,687	760	928
14	वाटर डिस्पेंसर	1	460	1- अप्रैल -2017	कार्यालय उपकरण	460	460	23	437	4	45. 04 %	460	256	204	92	112
15	एल.जी. रेफ्रिजेरेटर	1	725	1- अप्रैल -2017	कार्यालय उपकरण	725	725	36	689	4	45. 11 %	725	396	329	148	181
												<b>33,2 70</b>	<b>14,4 96</b>	<b>18,77 4</b>	<b>5,8 10</b>	<b>12,964</b>

